संख्या-95 /XXXI(13)G/07-38(12)/2007

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4.समस्त विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग   देहरादून: दिनांक: 07 फरवरी, 2007

विषय: उत्तराचल (नाम परिवर्तन) अधिनियम 2006 के प्रवृत्त होने के फलस्वरूप उत्तराचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या-01/ XXXI(13)G/2007-22(1)/06 दिनांक 03 जनवरी,2007 एवं पत्र संख्या- 08/XXXI(13)G/2007 दिनांक 05जनवरी, 2007, 04/सी0यस0/XXXI(13)G/2007-22(1)/2006 दिनांक 19जनवरी, 2007 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जा चुके है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध समस्त अभिलेखों/निगमों/परिषदों/संस्थाओं/बोर्डो/ नाम पट्टिका/मोहर/लेटर पेड/,साईन बोर्ड आदि में आदि में जहाँ-जहाँ उत्तरांचल शब्द अंकित है, उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शब्द तत्काल उल्लिखित कर दिया जाय।

अतः उक्त शासनादेशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि उत्तरांचल राज्य के प्रतीक चिन्ह में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड का प्रयोग तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(हस्ताक्षर)
(एस0 राजू)
सचिव।

संख्या- 95 (1)/ /XXXI(13)G/07-38(12)/2007तद्‌दिनांकित-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1.प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
2.सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड शासन।
3.सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड।
4.महानिबन्धक,मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल।
5.महालेखाकार,उत्तराखण्ड,ओबेराय बिल्डिंग माजरा,देहरादून।
6.सचिव,लोक सेवा आयोग,कनखल,हरिद्वार।
7.स्टाफ आफिसर,मुख्य सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
8.सचिव,माध्यमिक शिक्षा एवं परिषद रामनगर,नैनीताल।
9.स्थानिक आयुक्त कार्यालय उत्तराखण्ड नई दिल्ली।
10.पुनगर्ठन कार्यालय,उत्तराखण्ड,लखनऊ।
11.सचिवालय के समस्त अनुभाग।
12.गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
(हस्ताक्षर)
(के0एस0बिष्ट)
उप सचिव।

वर्ष 2006-2007
पंजीकरण सं० 171
दिनांक 14.2.07

REGISTRAR
Firms Societies & Chits Uttaranchal
8-A, Bengali Mohalla
Karanpur, Dehra Dun

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

पत्रांक 2252(1)/ लखनऊ :: दिनांक 7/1/ 88

प्रेषक,

श्री आर०एन०शर्मा,
रजिस्ट्रार ।

सेवा में,

सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स,
मेरठ, कानपुर, वाराणसी, बरेली, गोरखपुर, झांसी, हल्द्वानी, आगरा, देहरादून ।

विषयः- आदेश-2711/दो-4-5911/87 दिनांक 24-9-87

महोदय,

संस्था के नाम में "गांधी" एवं "नेहरू" शब्द के प्रयोग के सम्बन्ध में उपर्युक्त शासनादेश की फोटो प्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है । कृपया तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर०एन०शर्मा)
रजिस्ट्रार ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

Society Registration GO

प्रेषक,

श्री बी0एल0 शाह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी
उत्तरप्रदेश ।

2- रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उत्तर प्रदेश लखनऊ ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग   दिनांक लखनऊ 24, सितम्बर 1981

विषय :: सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण उ0 प्र0 संशोधन अधिनियम 1975 के अन्तर्गत (गांधी) एवं संघ शब्द के प्रयोग हेतु शासन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उ0 प्र0 संशोधन) अधिनियम 1975 की धारा 3(2)(ख) के अन्तर्गत कतिपय अन्य शब्दों के अतिरिक्त (गांधी)(संघ) या (यूनियन) का प्रयोग प्रतिबन्धित है आपवादिक परिस्थितियों में उक्त शब्दों के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने के लिए शासन को कथित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक में शक्ति प्रदान की गयी है ।

(1) नये पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र जिसमें (गांधी) (संघ) या यूनियन शब्द के प्रयोग की अनुमति अपेक्षित हो संस्थाओं द्वारा सीधे राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा और सम्बद्ध जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और सम्बन्धित जिलाधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी आख्या एवं संस्तुति सहित आवेदन पत्रों को सम्बद्ध रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को अग्रसारित करेगा ।

(क) संस्था के नाम के साथ प्रयुक्त शब्द (गांधी) (संघ) या यूनियन के प्रयोग की सार्थकता एवं उसकी उपयोगिता का औचित्य ।

(ख) उन आपवादिक परिस्थितियों का उल्लेख जिसके आधार पर शासन द्वारा संस्था के नाम के साथ गांधी, संघ या यूनियन के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है ।

जिलाधिकारी से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों को रजिस्ट्रार/सहायक

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

सहायक रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार अपनी टिप्पणी में आपवादिक परिस्थितियों का उल्लेख स्पष्ट करें।

4- रजिस्ट्रार/ सहायक रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पत्रों को जो उन्हें सीधे भेजे गये हैं सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेजकर मद 2 के अनुसार उनकी संस्तुति प्राप्त करेंगे और उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही करेंगे।

5- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की अन्तर्गत पहले रजिस्टर्ड ऐसी संस्थाएं जिनके नाम के साथ गांधी संघ या यूनियन शब्द प्रयुक्त हो, यदि अधि-नियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र देती है तो ऐसे आवेदन पत्र जिलाधिकारी को न भेजकर सीधे सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार को प्रेषित किये जायेंगे। सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार उन आवेदन पत्रों पर गांधी संघ या यूनियन शब्द का संस्था के नाम के साथ प्रयोग की आपवादिक परिस्थितियों में तथा अन्य किसी प्रकार की शिकायत व विवाद न होने का उल्लेख अपनी टिप्पणी में करते हुए शासन को प्रेषित करेंगे और शासन द्वारा उनकी संस्तुति पर विचारोपरान्त अनुमति दी जायेगी।

6- जहाँ तक नई संस्थाओं के नाम के साथ गांधी संघ या यूनियन शब्द के प्रयोग हेतु आपवादिक परिस्थिति मागे जाने का प्रश्न है इसके अन्तर्गत मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि गांधी संघ या यूनियन शब्द के प्रयोग की अनुमति न देने से कोई अनुचित असुविधा तो संस्थाओं न होगी और उक्त शब्द राष्ट्रपिता महात्मा गांधी या भारतीय संघ का बोध तो नहीं करते है। यह भी देखना होगा कि इन शब्दों के दुरुपयोग की संभावना है तो नहीं है एवं संस्था के उद्देश्य राजनैतिक तो नहीं हैं और संस्था क्या राष्ट्रपिता माहात्मा गांधी के सिद्धान्तोंपर ही आधारित है।

भवदीय,

(नृपेन्द्र मिश्र)
विशेष सचिव,

संख्या आ०नि० -27(1)(1)/दस-81-605(1)/81

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, वाराणसी, बरेली, मेरठ

आज्ञा से

(बी०एम० शाह)
संयुक्त सचिव,

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

उत्तर प्रदेश सरकार
U.O. वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या-आडिट-1/103/दस-86-12डी/86

लखनऊ : दिनांक ~~मार्च, 1987~~ 3-4-1987

अधिसूचना

प्रकीर्ण

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि उत्तर प्रदेश के सामुदायिक विकास खण्डों में कार्यरत महिला समूह (डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0) के रजिस्ट्रीकरण के संबंध में उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे रजिस्ट्रीकरण के लिए रजिस्ट्रार को ~~तीन~~ वर्ष की अवधि के लिए पांच रुपये की फीस का भुगतान किया जायगा।

(amended in 1992 see no 49)

आज्ञा से,

सचिव।

सं0-आडिट-1/103 (1)/दस-1986-12 डी/86-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त सहायक रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स द्वारा रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
3- ग्राम्य विकास अनुभाग-6, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
4- विधायिका अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ।
5- विज्ञप्ति के अंग्रेजी अनुवाद सहित, संयुक्त निदेशक, प्रभारी राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को दिनांक 3-4-87 के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें। कृपया विज्ञप्ति की 25 प्रतियां ग्राम्य विकास अनुभाग-6 को तथा 250 प्रतियां वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(बी0 एल0 मनचन्दा)
उप सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(5)

3

64
6.5.87

संख्या आडिट-468/दस-97607/1/85

प्रेषक,

श्री भीखा लाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

2-समस्त सहायक रजिस्ट्रार,
क्षेत्रीय कार्यालय फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तर प्रदेश, [illegible]

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग — लखनऊ: दिनांक: 25 अप्रैल, 1987

विषय:- विभिन्न अधिनियमों के अधीन अनिस्तारित मामलों की मासिक सूचना भेजा जाना।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन ने यह अपेक्षा की है कि आपके अधीन विभिन्न अधिनियमों के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले शुल्कों का निस्तारण शीघ्रता से किया जाय तथा अनिस्तारित मामलों की मासिक सूचना प्रत्येक अधिनियम के कार्यों से संबंधित संलग्न निर्धारित प्रपत्रों पर माह की समाप्ति के बाद अगले माह की 20 तारीख तक अवश्य भेजी जाय।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(भीखा लाल)
अनु सचिव।

कार्यालय पत्रांक 164-165 दि. 17.7.87
मुख्यालय [illegible]

[illegible]
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग,
उत्तर प्रदेश सचिवालय,
लखनऊ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(6)

संख्या आडिट- /दस-87-605(19)/86

(5)

प्रेषक,

श्री भीखा लाल,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक: 22 सितम्बर, 1987

विषय:- सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत संदर्भों को रजिस्ट्रार के माध्यम से शासन को प्रस्तुत किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय में सम्यक् रूप से विचार करने के उपरान्त मामले के निस्तारण में एक रूपता लाने एवं विधिक जटिलताओं से बचने के लिए शासन ने यह निर्णय लिया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 की धारा 3 (बी) के अन्तर्गत सभी भविष्य में रजिस्ट्रार के माध्यम से शासन को भेजें जाय। अत: कृपया आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ सहायक रजिस्ट्रारों/ उप रजिस्ट्रारों आदि को भेजें और अनुपालन सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(भीखा लाल)
अनु सचिव।

संख्या आडिट- /दस-87-605(19)/86

प्रतिलिपि समस्त सहायक निबन्धकों को रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स लखनऊ के माध्यम से आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

(भीखा लाल)
अनु सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

संख्या 2163/दस-सं0 वि0-3 (1)-91

प्रेषक,

श्री कान्त नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 18 दिसम्बर, 1991

विषय—प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता।

वित्त (विविध) अनुभाग

विकास कार्यों के लिये संसाधन जुटाने एवं अनुत्पादक व्यय को रोकने के प्रयोजन से राजकीय व्यय में मितव्ययिता के विभिन्न उपाय करने के लिये विगत में समय-समय पर आदेश निर्गत किये गये हैं परन्तु इनमें निहित निर्देशों का कड़ाई से पालन नहीं किया गया है। अतएव मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय व्यय में हर संभव मितव्ययिता की जाय तथा इस सम्बन्ध में निर्गत शासनादेशों में निहित निर्देशों को सम्मिलित करते हुए निम्न निर्णयों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया जाय:—

(1) आयोजनेत्तर पक्ष के सीधी भर्ती वाले तृतीय श्रेणी (लिपिकीय एवं चतुर्थ श्रेणी के गैर-तकनीकी पद, जो रिक्त हैं या भविष्य में रिक्त होंगे, वे तब तक न भरे जायं जब तक कि उन संवर्गों में 5 प्रतिशत के बराबर पद कम न कर दिये जायं। श्रेणी 1 व 2 के सीधी भर्ती के, प्राविधिक कोटि के पदों को छोड़कर, अन्य पदों के सम्बन्ध में भी यही प्रतिबन्ध लागू होगा। श्रेणी 1 व 2 के पर्यवेक्षक कोटि के पदों को भरने का मामला (5 प्रतिशत पदों को रिक्त रखकर) सम्बन्धित विभाग के सचिव एवं विभागाध्यक्ष के विवेक पर रहेगा। पर यह प्रतिबन्ध उस दशा में लागू नहीं होगा जहां अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षित कोटे को पूरा करने के लिये भर्ती की आवश्यकता हो।

(2) जीरो बेस बजटिंग प्रणाली के आधार पर आयोजनागत/आयोजनेत्तर पक्ष के कार्यक्रम/क्रियाकलापों की समीक्षा पूर्व में निर्गत विस्तृत निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में विभागों द्वारा अनिवार्य रूप से अगले 2 माह में पूरी कर ली जाय और इसके फलस्वरूप जो बचत सम्भावित हो वह चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व वित्त विभाग को समर्पित कर दी जाय। इन निर्देशों के अनुपालन के लिये सम्बन्धित विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(3) नई गाड़ियां (रोगी वाहनों को छोड़कर) क्रय न की जाय और पुरानी निष्प्रयोज्य गाड़ियों का प्रतिस्थापन चरणों में वित्त विभाग की सहमति से ही किया जाय। यह प्रतिबन्ध उन परियोजनाओं से सम्बन्धित मोटर गाड़ियों के क्रय पर लागू न होगा जिनका पूरा व्यय भारत सरकार वहन करेगी।

(4) आवासीय टेलीफोन नये वेतनमान रु0 3700—5000 से कम के अधिकारियों को अत्यन्त ही विशेष परिस्थिति में स्वीकृत किये जांय। वर्तमान में आवासीय टेलीफोन के लिये जो फ्री-काल्स शासन द्वारा निर्धारित हैं, उसी सीमा तक ही व्यय शासन द्वारा वहन किया जायगा।

(5) वायुयान/वातानुकूलित/प्रथम श्रेणी से यात्रा करने के लिये वर्तमान में जो अनुमन्यता निर्धारित है उसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(6) सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों में वाह्य सेवा से प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये अधिकारियों को उनके पैतृक विभाग में अनुमन्य सुविधाओं की अपेक्षा अधिक सुविधा उपलब्ध न कराई जाय।

(7) केवल उन प्रशिक्षणों को छोड़कर जो अनिवार्य हैं अन्य प्रशिक्षणों एवं सेमिनारों आदि में अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नामित न किया जाय।

(8) शासकीय विभागों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा किया जाने वाला सजावटी (Display) विज्ञापन एवं प्रचार, यदि वह व्यावसायिक प्रोत्साहन के लिये नहीं है, तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है। अन्य विज्ञापन जो अति आवश्यक समझे जायें विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकृत किये जायेंगे और यदि कोई विशेष प्रचार/विज्ञापन अभियान चलाना हो तो वह मुख्य मंत्री जी के पूर्वानुमोदन से किया जाये। पर यह प्रतिबन्ध ऐसे विज्ञापनों पर लागू न होगा जो सेवा सम्बन्धी प्रकरणों और नियुक्तियों आदि से सम्बन्धित हैं और जो विधिक रूप से आवश्यक हैं।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(8)

(9) भारत सरकार में लंबित मामलों के अनुश्रवण एवं अन्य प्रयोजनों हेतु अधिकारी/कर्मचारी बार-बार दिल्ली न जायं और न ही प्रदेश के अन्य जनपदों से बार-बार लखनऊ मुख्यालय पर आयें । दिल्ली एवं अन्य प्रदेशों के दौरे अधिकारी,कर्मचारी संबंधित विभागीय सचिव/विभागाध्यक्ष के अनुमोदन से ही करें । इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों/नियमों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय ।

(10) सरकारी वाहनों में पेट्रोल व डीजल की खपत वर्ष 1991–92 में वर्ष 1989–90 की अपेक्षा 20 प्रतिशत कम की जाय ।

(11) पेट्रोल तथा डीजल की खपत में उपरोक्त कमी को सुनिश्चित करने के लिये इस मद हेतु कोई अतिरिक्त धनराशि न तो अनुपूरक अनुदान के माध्यम से और नहीं पुनर्विनियोग द्वारा अन्य किसी मद से उपलब्ध कराई जाय । इस प्रयोजन हेतु पुनर्विनियोग के, जो भी अधिकार वर्तमान में विभागाध्यक्षों तथा प्रशासकीय विभागों को प्रदत्त हैं वे तात्कालिक प्रभाव से वापस लिये जाते हैं ।

(12) सार्वजनिक उद्यम अनुभाग के शासनादेश संख्या 350/44-2--26, दिनांक 15 अप्रैल, 1991 में यह व्यवस्था है कि शासन के समस्त विभागों के प्रमुख सचिव/सचिव केवल एक ही शासकीय वाहन का प्रयोग करेंगे । जहां राज्य सम्पत्ति विभाग या सचिवालय प्रशासन विभाग द्वारा स्टाफ कार उपलब्ध कराई गई है उन विभागों के सचिवों द्वारा निगमों अथवा सार्वजनिक उपक्रमों की गाड़ियों का प्रयोग किसी भी दशा में न किया जाय, भले ही वे अपने नियंत्रणाधीन एक या उससे अधिक उपक्रमों/निगमों/प्राधिकरणों/परिषदों में अध्यक्ष अथवा निदेशक मण्डल के सदस्य का कार्यभार संभाले हों ।

(13) नव वर्ष अथवा अन्य उत्सवों पर शासकीय खर्चे पर बधाई संदेशों को भेजने, कलेंडर, डायरी, शुभकामना संदेशों तथा पर्सनल लेटर आदि के मुद्रण, वितरण एवं अन्य किसी सामग्री आदि के वितरण को तात्कालिक प्रभाव से निषिद्ध किया जाता है । यह निर्देश शासकीय विभागों, सरकारी कार्यालयों, स्थानीय निकायों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं एवं प्राधिकरणों पर समान रूप से लागू होंगे ।

(14) सरकारी विभागों एवं कार्यालयों द्वारा शासकीय व्यय पर सभी प्रकार के मनोरंजनों को प्रतिबंधित किया जाता है । पर अनिवार्य परिस्थितियों में शासन के अनुमोदन के पश्चात ही उसे किया जाय ।

(15) केवल इस कारण कि पदधारक बदल गया है, नया फर्नीचर व साज-सज्जा की व्यवस्था न की जाय तथा इस संबंध में निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन किया जाय । फर्नीचर व अन्य साज-सज्जा इत्यादि के क्रय की स्वीकृति धन के पुनर्विनियोग द्वारा (आयोजनेतर/आयोजनागत) उपलब्ध कराने हेतु जो प्रतिनिधायन/अधिकार इस संबंध में विभिन्न स्तरों पर प्रदत्त है उन्हें तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

(16) यात्रा व्यय में अधिकाधिक मितव्ययिता बरती जाय । शासकीय कार्य के लिये की जाने वाली यात्राओं को आवश्यक एवं अपरिहार्य कार्य की पूर्ति हेतु न्यूनतम अनिवार्य आवश्यकता तक ही सीमित रखा जाय और जहां तक संभव हो केवल अत्यन्त ही आवश्यक व्यक्तियों को ही अखिल भारतीय सम्मेलनों, विचार गोष्ठियों और बैठकों आदि में भाग लेने के लिये भेजा जाय । सरकारी दौरों में विशेष परिस्थितियों को छोड़कर अधिकारी अपना पर्सनल स्टाफ साथ न ले जायं । यह प्रतिबन्ध दिल्ली यात्रा के संबंध में भी लागू होगा ।

(17) सार्वजनिक उपक्रमों, प्राधिकरणों एवं स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि द्वारा नये अतिथि गृह न खोले जायं और वर्तमान में चल रहे अतिथिगृहों को भविष्य में चलाये जाने के संबंध में अतिशीघ्र मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन प्राप्त किया जाये । नये अतिथि गृहों को, यदि वे अत्यन्त आवश्यक हैं, मुख्यमंत्री जी के पूर्वानुमोदन के पश्चात ही स्थापित किया जाय ।

(18) यात्रा व्यय आदि में बचत के उद्देश्य से मण्डलीय स्तर पर बैठकों की संख्या युक्तिसंगत (Rationalise) रखा जाय ।

(19) शासन के उच्च स्तर जहां कार्यहित में आवश्यक हो जिलाधिकारी एवं जिला पुलिस प्रमुख (पुलिस अधीक्षक/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक) के अलावा अन्य अधिकारियों के आवास पर एक से अधिक फोन की सुविधा उपलब्ध न कराई जाय और यदि एक स्रोत से एक फोन की सुविधा आवास पर उपलब्ध है तो किसी अन्य स्रोत से अतिरिक्त फोन-सुविधा उपलब्ध न कराई जाये । वर्तमान में जहां आवास पर अतिरिक्त फोन सुविधा उपलब्ध है उसे तात्कालिक प्रभाव से समाप्त किया जाता है ।

2—उपर्युक्त समस्त निर्देश सरकारी विभागों/कार्यालयों के साथ-साथ समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/स्थानीय निकायों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/प्राधिकरणों तथा राज्य विश्वविद्यालयों पर समान रूप से लागू होंगे ।

3—पूर्व में उपर्युक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों आदि को इस सीमा तक यथा संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,
भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव, वित्त ।

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(9)

संख्या 2163/(1)/दस-सं0 वि0-3(1)/91, तद्दिनांकित

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (दस अतिरिक्त प्रतियों सहित) इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया अपने अधीन विभिन्न विभागों और अपने विभाग से संबंधित स्थानीय निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि भेज कर सुनिश्चित कर लें कि उनमें भी इसका कड़ाई से पालन किया जाय।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव, वित्त आयोग।

संख्या 2163/(2)/दस-सं0 वि0-3(1)/91 तद्दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :--

1--सचिवालय के समस्त अनुभाग।

2--समस्त कोषाधिकारी।

3--महालेखाकार-1 व 2 उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

4--समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक।

5--समस्त कुल सचिव, राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव, वित्त आयोग।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसा... एवं चिट्स
देहरादून

पी0एस0यू0पी0--ए0पी0 102 सा वित्त--(2367)--3-1-92--1992--15,000 (हिन्दी)।

Column 1 Existing Rule		Column 2 Rule as hereby substituted	
(11) Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of section 66.	Five rupees.	(11) Inspection of documents relating to a firm under sub-section (2) of section 66.	Ten rupees for inspection of all documents relating to one firm.
(12) Copies from the Register of firms.	Two rupees for each hundred words or part thereof.	(12) Copies from the Register of firms.	Four rupees for each hundred words or part thereof.
Fees payable under this Act or these rules by a firms or a person shall be deposited in the form of postal order or in cash.		Fees payable under the Act or these rules by a firm or a person shall be deposited in the forms of postal order or in cash.	

By order,
B. N. TEWARI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 316 राजपत्र (हि०)-(638)—1992—1204+25 (मेक०)।

6

क्रम-संख्या—550

रजि० नं० एल. डब्लू./एन. पी.-58

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०—41.

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

लखनऊ, रविवार, 31 मई, 1992

ज्येष्ठ 10, 1914 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

संख्या ग्राडिट–994 /दस-92—607 (8)-66

लखनऊ, 11 मई, 1992

अधिसूचना

प्रकीर्ण

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

सा० प० नि०—17

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में यथा संशोधित भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1932) की धारा 71 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं जिसे उक्त अधिनियम संख्या 9 सन् 1932 की उक्त धारा की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार सरकारी अधिसूचना संख्या ग्राडिट–5816 / दस-91–607 (8)-66, दिनांक 10 जनवरी, 1992 में पहले ही प्रकाशित किया जा चुका है :—

उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1992

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1992 कही जाएगी।

(2) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 14 का संशोधन — 2—यू0 पी0 इण्डियन पार्टनरशिप रूल्स, 1933 में नीचे स्तम्भ-1 में दिए गए वर्तमान नियम 14 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जाएगा, अर्थात् :—

स्तम्भ—1 वर्तमान नियम		स्तम्भ—2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम	
14—अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 67 के उपबन्धों के अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण तथा प्रमाणित प्रतियों को देने के लिए निम्नलिखित फीस उद्गृहीत की जाएगी :—		14—अधिनियम की धारा 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 और 67 के उपबन्धों के अधीन दस्तावेजों के निरीक्षण और प्रमाणित प्रतियां देने के लिए निम्नलिखित फीस उद्गृहीत की जाएगी :—	
(1) नियम 12 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिए।	फर्म से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द अथवा समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिये दो रुपये।	(1) नियम 12 के अधीन प्रत्येक निरीक्षण के लिए।	फर्म से सम्बन्धित रजिस्टर के एक जिल्द या समस्त दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए चार रुपये।
(2) नियम 13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए।	प्रति सौ शब्द अथवा उसके भाग के लिए दो रुपये।	(2) नियम 13 के अधीन किसी दस्तावेज की प्रमाणित प्रति के लिए।	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार रुपये।
(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति के लिए।	दो रुपये।	(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रति के लिए।	चार रुपये।
(4) धारा 58 के अधीन कथन।	पचास रुपये।	(4) धारा 58 के अधीन कथन।	एक सौ रुपये।
(5) धारा 60 के अधीन कथन।	पन्द्रह रुपये।	(5) धारा 60 के अधीन कथन।	तीस रुपये।
(6) धारा 61 के अधीन ज्ञापन।	पन्द्रह रुपये।	(6) धारा 61 के अधीन ज्ञापन।	तीस रुपये।
(7) धारा 62 के अधीन ज्ञापन।	पन्द्रह रुपये।	(7) धारा 62 के अधीन ज्ञापन।	तीस रुपये।
(8) धारा 63 के अधीन सूचना।	पन्द्रह रुपये।	(8) धारा 63 के अधीन सूचना।	तीस रुपये।
(9) धारा 64 के अधीन आवेदन।	पन्द्रह रुपये।	(9) धारा 64 के अधीन आवेदन।	तीस रुपये।
(10) धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।	पांच रुपये।	(10) धारा 66 की उपधारा (1) के अधीन फर्मों के रजिस्टर का निरीक्षण।	दस रुपये।
(11) धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण।	पांच रुपये।	(11) धारा 66 की उपधारा (2) के अधीन फर्म सम्बन्धी दस्तावेजों का निरीक्षण।	एक फर्म से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए दस रुपये।
(12) फर्मों के रजिस्टर से प्रतियां।	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए 2 रुपये।	(12) फर्मों के रजिस्टर से प्रतियां।	प्रति सौ शब्द या उसके भाग के लिए चार रुपये।
अधिनियम अथवा इस नियमावली के अधीन किसी फर्म अथवा व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली फीस पोस्टल आर्डर के रूप में अथवा नकद जमा की जाएगी।		अधिनियम या इस नियमावली के अधीन किसी फर्म या व्यक्ति द्वारा दी जाने वाली फीस पोस्टल आर्डर के रूप में या नकद जमा की जाएगी।	

आज्ञा से,
भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव।

(11)

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. Audit-994/X—92-607(8)-66, dated May 11, 1992, for general information :

No. Audit-994/X—92-607(8)-66

Dated Lucknow, May 11, 1992

IN exercise of the powers under sub-section (1) of section 71 of the Indian Partnership Act, 1932 (Act no. IX of 1932), the Governor is pleased to make the following rules after their previous publication in Government notification no. Audit-5816/X—91-607(8)-66, dated January 10, 1992 as required by sub-section (3) of the said section of the said Act no. IX of 1932:

THE UTTAR PRADESH INDIAN PARTNERSHIP (THIRD AMENDMENT) RULES, 1992

Short title and commencement — 1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Indian Partnership (Third Amendment) Rules, 1992.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the *Gazette*.

Amendment of Rule 14 — 2. In the U. P. Indian Partnership Rules, 1933, *for the existing rule 14 set out in column 1 below, the rule as set out in column 2 shall be substituted* :

COLUMN 1 *Existing Rule*		COLUMN 2 *Rule as hereby substituted*	
14. The following fees shall be levied for inspection of documents and grant of certified copies under the provisions of sections 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 and 67 of the Act:	Fees	14. The following fees shall be levied for inspection of documents and grant of certified copies under the provisions 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66 and 67 of the Act:	Fees
(1) For each inspection under rule 12	Two rupees or inspecting one volume of the register or all documents relating to the firm.	(1) For each inspection under rule 12.	Four rupees for inspecting one volume of the register or all documents relating to the firm.
(2) For certified copy of any document under rule 13.	Two rupees for each hundred words or part thereof.	(2) For certified copy of any documents under rule 13.	Four rupees for each hundred words or part thereof.
(3) For certified copy of a certificates of registration.	Two rupees	(3) For certified copy of a certificates of registration.	Four rupees.
(4) Statement under section 58.	Fifty rupees	(4) Statement under section 58.	One hundred rupees.
(5) Statement under section 60.	Fifteen rupees	(5) Statement under section 60.	Thirty rupees.
(6) Intimation under section 61.	Fifteen rupees	(6) Intimation under section 61.	Thirty rupees.
(7) Intimation under section 62.	Fifteen rupees	(7) Intimation under section 62.	Thirty rupees.
(8) Notice under section 63.	Fifteen rupees	(8) Notice under section 83.	Thirty rupees.
(9) Application under section 64.	Fifteen rupees	(9) Application under section 64.	Thirty rupees.
(10) Inspection of the register of firms under sub-section (i) of section 66.	Five rupees	(10) Inspection of the register of firms under sub-section (i) of section 66.	Ten rupees.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्या.
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(12)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या- आडिट- 1605 /दस-92- 7
लखनऊ: दिनांक 23 अक्टूबर, 1992

अधिसूचना

साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 सन् 1897) की धारा 21 के साथ पठित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या 21 सन् 1860) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या- यू0ओ0- आडिट- 103/दस- 1986- 12 डी/86, दिनांक 3 अप्रैल, 1987 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :-

संशोधन

उपर्युक्त अधिसूचना में, शब्द " रजिस्ट्रीकरण के संबंध में " के स्थान पर शब्द " यथास्थिति रजिस्ट्रीकरण या नवीनीकरण के संबंध में ," और शब्द " तीन वर्ष " के स्थान पर शब्द "प्रत्येक पांच वर्ष " रख दिये जायेंगे ।

आज्ञा से,

भोला नाथ तिवारी,
प्रमुख सचिव ।

53

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

....2/-

(13)

संख्या- आडिट- 1645 (1)/दस-92-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

2- समस्त सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, द्वारा रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ ।

3- आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को उनके पत्र संख्या 248/पी-20/92 दिनांक 16-1-92 के संदर्भ में सूचनार्थ ।

4- ग्राम्य विकास अनुभाग-6

5- विधायिका अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ ।

6- विज्ञप्ति के अंग्रेजी अनुवाद सहित प्रभारी निदेशक, राजकीय प्रेस, ऐशबाग लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि विज्ञप्ति को दिनांक 23-X-92 के असाधारण गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें । छपी विज्ञप्ति की 25 प्रतियाँ ग्राम्य विकास अनुभाग-6 को तथा 250 प्रतियाँ वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग, उत्तर प्रदेश सचिवालय को भेजने का कष्ट करें ।

आज्ञा से,

(रमेश दत्त दीक्षित)
संयुक्त सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(14)

8

(29)

उत्तर प्रदेश शासन
(वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या- आडिट- 1071 /दस-93-605(22)77
लखनऊ: दिनांक 20-4-1993

अधिसूचना

चिट फण्ड्स अधिनियम 1982 (अधिनियम संख्या- 40 सन् 1982) की धारा 89 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993

...प्त नाम / प्रारम्भ — 1 (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चिट फण्ड (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1993 कही जायेगी ।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी ।

...म 24 का / ...शोधन — 2- उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 24 में उक्त नियम (1) में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान खण्ड- ख के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान खण्ड	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित खण्ड
(ख) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त न हों तो रजिस्ट्रार प्रतिभूति को निर्मुक्त कर देगा ।	(ख) यदि नोटिस में निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोई आपत्तियां प्राप्त न हो, तो रजिस्ट्रार प्रतिभूति और उस पर प्रोद्भूत ब्याज, यदि कोई हो, और शेष अंशदान को निर्मुक्त कर देगा ।

...2/-

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

15

3- उक्त नियमावली में नियम 58 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप नियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया उप नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ -1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप नियम
(1) धारा 70 या धारा 74 की उपधारा (1) और (2) के अधीन कोई अपील या तो स्वयं या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा राज्य सरकार को या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी (जिसे आगे अपील अधिकारी कहा गया है) को, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त गजट में अधिसूचना द्वारा शक्ति प्रदान की जाय, प्रस्तुत की जायेगी।	(1) धारा 70 या धारा 74 की उप धारा (1) और (2) के अधीन अपील लिखित रूप में की जायेगी और उसे स्वयं प्रस्तुत किया जायेगा या रजिस्ट्रीकृत डाक से अपील प्राधिकारी को भेजा जायेगा। स्पष्टीकरण- इस नियम और नियम 59 के प्रयोजन के लिये अपील प्राधिकारी का तात्पर्य- (क) धारा 70 के अधीन अपील के संबंध में राज्य सरकार से है; (ख) धारा 74 की उपधारा (1) और (2) के अधीन अपील के संबंध में राज्य सरकार या ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी से है, जिसे इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा सशक्त किया जाय।

आज्ञा से,

सी०एम० वासुदेव
प्रमुख सचिव, वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
...

(16)

-3-

संख्या-आडिट- 107(II)/दस-93-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ।

2- संयुक्त निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उ0प्र0, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जाती है कि कृपया हिन्दी तथा अंग्रेजी अधिसूचना को दिनांक 20 अप्रैल, 93 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (क) में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा इसकी 25 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

3- ज्वाइन्ट चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय कम्पनी विभाग, सेन्ट्रल आफिस सेल, बम्बई- 400023 को उनके पत्र सं0 डी0एफ0सी0 (सी.ओ.सी.) नं0 352/50- (II)/89-90 दिनांक 28-2-90 तथा सं0 डी0एफ0सी0 (सी.ओ.सी.) नं0 517/50(II)/90-91, दिनांक 21-3-1991 के संदर्भ में 6 प्रतियों सहित सूचनार्थ एवं रिकार्ड हेतु प्रेषित।

4- संयुक्त चीफ आफिसर, भारतीय रिजर्व बैंक 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली।

आज्ञा से,

(गणेश दत्त दीक्षित)
संयुक्त सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

Uttar Pradesh Shasan,
Vitta (Lekha Pariksha) Anubhag.

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution the Governor is pleased to order the publication of the following english translation of Notification No. Audit-1071/X-93-605(22)/77, dated ~~March~~ 20-4- ,1993.

No. Audit-1071/X-93-605(22)/77
Dated : ~~March~~ 20-4- ,1993.

Notification

In exercise of the powers under section 89 of the Chit Funds Act, 1982 (Act No. 40 of 1982) the Governor in consultation with the Reserve Bank of India, is pleased to make the following rules, with a view to amending the Uttar Pradesh Chit Funds Rules, 1988.

The Uttar Pradesh Chit Funds (First Amendment) Rules, 1993.

Short title and commencement.

1. (1) These Rules may be called Uttar Pradesh Chit Funds (First Amendment) Rules, 1993.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 24.

2. In the Chit Fund (Uttar Pradesh) Rules, 1988 hereinafter referred to as the said rules, in rule 24, in sub-rule (1) for the existing clause (b) set out in column I below the clause set out in column II shall be substitutted namely.

contd....2

लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय
फर्म्स सो... चिट्स
देहरादून

COLUMN I	COLUMN II
Existing clause.	Clause as hereby substituted.
(b) If no objections are received within the period specified in the notice, the Registrar shall release the security.	(b) If no objections are received within the period specified in the notice, the Registrar shall release the security together with interest, if any, accrued thereon and remaining unpaid.

Amendment of Rule 58. 3. In the said rules, in rule 58, for the existing sub-rule (1) set out in column I, below, the sub-rule as set out in column II shall be substituted namely.

COLUMN I	COLUMN II
Existing Sub-Rule.	Sub-Rule as hereby substituted.
(1) An appeal under section 70 of sub sections (1) and (2) of section 74 shall either be presented in person or sent by registered post to the State Government or to such officer or authority (hereinafter referred to as appellate authority) as may be empowered by notification in the Gazette by the State Government in that behalf.	(1) An appeal under section 70 or sub sections (1) and (2) of section 74 shall be made in writing and shall be either presented in person or sent by registered post to the appellate authority. Explanation - For the purpose of this Rule and Rule 59, 'appellate Authority' means- (a) in respect of an appeal under section 70, the State Government; (b) in respect of an appeal under sub sections (1) and (2) of section 74, the State Government or such officer or authority as may be empowered by notification in the State Gazette by the State Government in that behalf.

By Order,

C M Vasudeva

Principal Secretary.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

[illegible] दत्त दीक्षित,
सचिव।

अर्धशासकीय पत्र सं०-आर डि ट- 2070/दस-93-

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग

लखनऊः दिनांक 21 मई, 1993

9

प्रिय महोदय,

उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1976 के संबंध में विधिक परामर्श प्राप्त किये जाने विषयक अपने अर्धशासकीय पत्र संख्या 286/[illegible]/93 दिनांक 29-4-93 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- [illegible] संबंध में न्याय विभाग द्वारा निम्नलिखित परामर्श दिया गया है :-

उत्तर प्रदेश सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन रूल्स 1976 का नियम [illegible] [illegible] है जिसमें यह प्राविधान है कि स्मृतिपत्र में ऐक्ट की धारा-2 में [illegible] विवरण उल्लिखित होगा और सभी 7 या अधिक व्यक्ति जो धारा-1 के अनुसार हों, के नाम पते एवं हस्ताक्षर स्मृतिपत्र में होंगे। नियम स्पष्ट होने के कारण उसमें किसी निर्वचन की आवश्यकता नहीं है। इसलिये यदि स्मृतिपत्र में 7 से अधिक पदाधिकारी सदस्य हैं तो सभी के हस्ताक्षर स्मृतिपत्र पर आवश्यक होंगे।

भवदीय,

(उमेश दत्त दीक्षित)

श्री जगमोहन,
रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0,
लखनऊ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

संख्या- आडिट- 15/दस-93- 10(1)/93

प्रेषक,

श्री गणेश दत्त दीक्षित,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ०प्र०, इलाहाबाद ।

2- रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ०प्र०, लखनऊ ।

3- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियाँ एवं पंचायतें,
उ०प्र०, लखनऊ ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक 23 जून, 1993

विषय:- भारत सरकार द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन के बारे में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के पत्र दिनांक 17-12-92 एवं उससे संलग्न राष्ट्रीय एकीकरण अनुभाग-1 के पत्र दिनांक 30-12-92 को मय संलग्नकों के भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

भवदीय,

(गणेश दत्त दीक्षित)
संयुक्त सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

संख्या-2715/12सी-3-93-10192/93

प्रेषक,

राजीव कुमार सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2- समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

सहकारिता 13 अनुभाग　　　　लखनऊ: दिनांक: 19 जुलाई, 1993

विषय:- सरकारी कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त निकायों द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीददारी के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के कार्यालय ज्ञाप संख्या-14/388/ कल्याण, दिनांक 4 फरवरी, 1988 एवं निबन्धक, सहकारी समितियां, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-सी-15/उप0, दिनांक 30 मई, 1989 तथा सी-15/उप-ग-2-लेखा, दिनांक 3 जून, 1993 की प्रतिलिपि संलग्न करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार के अधीन विभिन्न कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त संस्थाओं द्वारा उक्त वस्तुओं की खरीद करते समय स्थानीय केन्द्रीय उपभोक्ता सहकारी भण्डार एवं उ0प्र0उपभोक्ता सहकारी संघ की शाखा के माध्यम से क्रय को प्राथमिकता प्रदान की जाय ताकि इन सहकारी संस्थाओं को व्यवसाय एवं संरक्षण प्राप्त हो सके।

संलग्नक:उपर्युक्तानुसार।

भवदीय,
(राजीव कुमार सिंह)
सचिव।

—/2

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

प०ह० 11 (68)90
87 545

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10
सं0- ई-10- 4304/दस-93-एच-5/92
लखनऊ दिनांक: 27 दिसम्बर, 1993

* प्रतिलिपि वित्त सचिव शाखा के समस्त अधिकारियों/अनुभागों को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(के० सी० श्रीवास्तव)
उप सचिव ।

- -

* सतर्कता अनु0-4 के पत्र सं0-2928/39-4-93 -1/2 13481/86 दिनांक 5-11-1993 की प्रतिलिपि ।

- -

3/V5 (ए)/94
उप सचिव (ज)

31-12-93
(संजय अग्रवाल)
विशेष सचिव, वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

1-1-94

लोक सूचना अधिकारी
अध्यक्ष कार्यालय
कम्पनी सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(23)

11

(24)

सं०-51 एल/18<u>/</u>-7-94-59 (एस. पी.
/92

प्रेषक,

दीपक त्रिवेदी
संयुक्त सचिव
उ० प्र० शासन ।

सेवा में,

1- आयुक्त एवं निदेशक उद्योग
सामग्री क्रय अनुभाग, कानपुर ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष
उ० प्र० शासन ।

3- प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी/[illegible] नियंत्रणाधीन निगम/[illegible]/प्राधिकरण, [illegible] संस्थायें उ० प्र० ।

उद्योग अनुभाग-7

लखनऊ दिनांक 10 जनवरी, 1994

विषय:- सरकारी विभागों एवं [illegible] नियंत्रणाधीन उपक्रमों/निगमों/[illegible] परिषदों एवं [illegible] संस्थाओं द्वारा युविका/हथकरघा निगम [illegible] उत्पादित [illegible] के क्रय में वरीयता ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश सं०- 1995 एल/18-7-59 (एस. पी.)/92 दिनांक 16 सितम्बर, 1993 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में [illegible] विचारोपरान्त शासन ने निर्णय लिया है कि उक्त शासनादेश दिनांक 16-9-93 के साथ संलग्न परिशिष्ट-अ, जिसमें यूपिका एवं उ० प्र० हथकरघा निगम के उत्पादों की सूची पृथक पृथक अंकित की गई थी, के स्थान पर अब संलग्न परिशिष्ट "क" में अंकित दोनों संस्थाओं अर्थात यूपिका एवं उ० प्र० हथकरघा निगम के उत्पादों/सामग्री की कामन सूची अंकित कर दी जाए और कामन सूची को परिशिष्ट-अ के स्थान पर पुनर्स्थापित कर दिया जाए । उक्त शासनादेश दिनांक 16-9-93 की अन्य सभी बातें एवं शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी ।

भवदीय,

ह0/ दीपक त्रिवेदी
संयुक्त सचिव ।

संख्या 51 [illegible] एल/18-7-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1- [illegible] अनु०-1 उ० प्र० सचिवालय को उनके पत्र सं०- 4-2-1994/[illegible] दिनांक 6 जनवरी, 1994 के संदर्भ में ।
2- शासन के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उ० प्र० शासन ।
3- निदेशक हथकरघा एवं वस्त्र उ० प्र० कानपुर ।
4- प्रबन्ध निदेशक यूपिका कानपुर ।
5- महालेखाकार उ० प्र० इलाहाबाद ।
6- प्रबन्ध निदेशक उ० प्र० हथकरघा निगम कानपुर ।
7- गार्ड फाइल हेतु ।

आज्ञा से,

ह0/ दीपक त्रिवेदी
संयुक्त सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

शासनादेश सं०—51 स्न/18-7-94 (एस. जी. 1/92 दि०- 10 जनवरी, 1994
1994 का संलग्नक- परिशिष्ट "क"

क्र० सं०	इकाई का नाम	उत्पाद/सामग्री का नाम
1-	सूचिका	1- विभिन्न प्रकार के दो सूती/गलैस काटन प्रिंटेड पर्दा क्लाथ ।
2-	उ० प्र० हथकरघा निगम	

2- विभिन्न प्रकार के सैल्फ वूवेन ग्लैस काटन प्रिंटेड पर्दा क्लाथ ।
3- प्लेन शीट कैन्सी क्लाथ ।
4- जैकाई बीव/वूवेन डिजाइन पर्दा ।
5- विभिन्न प्रकार के प्लेन फैंसी/जैकार्ड डिजाइन में फिनिशिंग क्लाथ ।
6- फर्श दरी, ऊनी दरी, बेड दरी, सूती डरेट- विभिन्न साइज और रंगों में - मांग के अनुसार ।
7- हनी कोम्ब तौलिया- विभिन्न साइजों में, टेरी तौलिया- प्लेन एवं डिजाइनदार
8- सफेद एवं रंगीन बेडशीट गेस्ट हाउस इत्यादि के लिए हास्पिटल बैडशीट
9- काटन साड़िया ।
10- चादर जोड़ा (काटन एवं स्टैपल)
11- खेस

ह0/ दीपक त्रिपेदी
संयुक्त सचिव ।

Noted
[illegible]
[illegible]

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय [illegible]लय
फर्म्स सोसा[illegible] चिट्स
देहरादून

संख्या- आडिट- 271/दस-94- 10(68)/90

प्रेषक,

श्री रमा कान्त जैन,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी,
सहकारी समितियां एवं पंचायतें,
उ0प्र0, लखनऊ ।

2- निदेशक,
स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद ।

3- रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग लखनऊ: दिनांक 19 फरवरी, 1994

विषय:- सतर्कता जांच से सम्बन्धित अभिलेख सतर्कता अधिष्ठान को तत्काल उपलब्ध कराने विषयक ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के पत्र संख्या-ई-10- 4304/दस-93- एच-5/92, दिनांक 27 दिसम्बर, 1993 व संलग्नक की प्रतिलिपि भेजते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस संबंध में कृपया आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें ।

संलग्नक : यथोपरि ।

भवदीय,

(रमा कान्त जैन)
उप सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एव चिट्स
देहरादून

(28)

13

संख्या 714/दस-सं0 वि0-मित0-1-93

प्रेषक;

श्री एस0 ए0 टी0 रिजवी',
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ, दिनांक 29 अप्रैल, 1994।

विषय :—प्रशासनिक व्यय में मितव्ययिता।

महोदय;

त संसाधन सचिव) अनुभाग

मुझे आपका ध्यान उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 2163/दस-सं0 वि0-3(1)-91, दिनांक
18 दिसम्बर, 1991 की ओर आकृष्ट करते हुए यह कहने का निदेश हुआ है कि विकास कार्यों हेतु संसाधन जुटाने एवं
अनुत्पादक व्यय को रोकने के प्रयोजन से राजकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बन्धी जो विस्तृत निर्देश उपर्युक्त शासनादेश में
दिए गए हैं, उनका कड़ाई से अनुपालन किया जाय एवं राजकीय व्यय में मितव्ययिता लाने के लिए उक्त शासनादेश
में उल्लिखित निर्णयों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित किया जाय। इस सम्बन्ध में की गई मितव्ययिता के भौतिक एवं वित्तीय
परिणामों से वर्ष के प्रत्येक त्रैमास में शासन के अपने से सम्बन्धित विभाग को अवगत कराया जाना भी सुनिश्चित किया
जाय।

भवदीय

एस0 ए0 टी0 रिजवी;
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या 714(1)/दस-सं0 वि0-मित 0-1-93, तद्दिनांक

प्रतिलिपि शासन के समस्त प्रमुख सचिवों/सचिवों/विशेष सचिवों को (दस प्रतियों सहित) आवश्यक
कार्यवाही हेतु इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वे कृपया अपने अधीन विभागों और अपने विभाग से सम्बन्धित स्थानीय
निकायों, निगमों, स्वायत्तशासी संस्थाओं, सार्वजनिक उपक्रमों एवं राज्य विश्वविद्यालयों को इस शासनादेश की प्रतिलिपि
भेजकर शासनादेश संख्या 2163/दस सं0 वि0 3(1)-91 दिनांक 18 दिसम्बर, 1991 में निहित मित-
व्ययता सम्बन्धी निर्देशों का कड़ाई से कार्यान्वयन सुनिश्चित कराते हुए अपने स्तर पर प्रत्येक त्रैमास मितव्ययिता के
भौतिक/वित्तीय परिणामों की समीक्षा कर परिणामों से वित्त विभाग को नियमित रूप से अवगत कराने की व्यवस्था
सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,
इन्दु कुमार पाण्डे,
सचिव,
वित्त आयोग।

संख्या 714(2)/दस-सं0 वि0-मित 0-1-93 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(2) समस्त कोषाधिकारी।
(3) महालेखाकार- 1 व 2, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(4) समस्त सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/स्थानीय निकायों एवं प्राधिकरणों के अध्यक्ष/प्रबन्ध-निदेशक।
(5) समस्त कुल सचिव राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
बृज मोहन जोशी,
विशेष सचिव।

पी0 एस0 यू0 पी0--ए0पी0 17 सा0 वित्त (419) 1994--12,000 (मेक)।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

संख्या- आडिट- 1191/दस-94-606141/82

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ ।

रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र०, लखनऊ

14

वित्त । लेखा परीक्षा । अनुभाग लखनऊ: दिनांक 30 अप्रैल, 1994

विषय:- वर्ष 1994-95 में कतिपय अस्थायी पदों को चलते रहने की स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक- 9, दिनांक 4-4-94 के संदर्भ में तथा शासनादेश संख्या- आडिट- 1818/दस-93- 606141/82, दिनांक 8-6-93 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ के अन्तर्गत संलग्न तालिका में उल्लिखित अस्थायी पदों को दिनांक 28-2-95 तक, यदि उन्हें बिना किसी पूर्व नोटिस दिये समाप्त न कर दिया जाय, चलते रहने की स्वीकृति प्रदान करते हैं ।

2- उपर्युक्त पदधारकों को वेतन के अतिरिक्त मंहगाई भत्ता, अन्य भत्ते आदि शासन द्वारा समय-समय पर स्वीकृत दर से देय होंगे ।

3- उपर्युक्त स्वीकृत पदों पर होने वाला व्यय वर्ष 1994-95 के आय-व्ययक में अनुदान सं0- 65 के लेखा शीर्षक "3475- अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें- आयोजनेत्तर 200-अन्य कारबार उपक्रमों का विनियमन-01- भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन" के अन्तर्गत सुसंगत इकाइयों के नामे डाला जायेगा ।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार ।

latework
Sinedit
Ans coveredit
18/9/01

भवदीय,

। हरीश चन्द्र पाण्डेय।
अनु सचिव ।

...2/-

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(28)

शासनादेश संख्या- आडिट- 1191/दस-94- 606141/82
दिनांक 30 अप्रैल, 1994 का संलग्नक

क्र0सं0	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान	शासनादेश सं0 जिससे पद सृजित हुआ
1	2	3	4	5
1-	सहायक रजिस्ट्रार	3	2200-4000	आडिट 1540/दस-86-605157।/83 दिनांक 3-6-86
2-	ज्येष्ठ सहायक	5	1200-2040	- तदैव-
3-	ज्येष्ठ लिपिक	3	1200-2040	-तदैव-
4-	कनिष्ठ लिपिक	11	950-1500	-तदैव-
5-	आशुलिपिक	3	1200-2040	-तदैव-
6-	फोटो मशीन आपरेटर	3	750-1025	-तदैव-
7-	फर्राशी	6	750-940	सं0-आडिट- 2522/दस-85-606111/85 दिनांक 3-6-85
8-	चौकीदार	3	750-940	-तदैव-
9-	अन्वेषक	2	1400-2600	-तदैव-
10-	आशुलिपिक	2	1200-2040	-तदैव-
11-	फोटो मशीन आपरेटर	3	750-1025	-तदैव-
12-	अर्दली/फर्राशी	3	750-940	-तदैव-
13-	जीप चालक	1	950-1500	संख्या- आडिट- 2152/दस-89-606141/88, दिनांक 11-8-89
14-	सहायक रजिस्ट्रार	3	2200-4000	सं0-आडिट- 595/दस-90-606131/89, दिनांक 20-12-90
15-	वरिष्ठ सहायक	4	1200-2040	सं0-आडिट- 595/दस-90-606131/89 दिनांक 20-12-90
16-	कनिष्ठ लिपिक	4	950-1500	-तदैव-
17-	अन्वेषक	3	1400-2600	-तदैव-

....2/-

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(90)

15

संख्या -547/उन्तीस-डेस्क-

प्रेषक

श्री सत्य प्रकाश शर्मा,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद विभाग-डेस्क-प्रथम लखनऊ: दिनांक मई 27, 1994

विषय:-ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ रेल तथा सड़क द्वारा स्लैक कोल की स्पान्सरिंग, आयात तथा वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेसर्स हिमगिरी कोल कं0 लि0 बनाम उत्तर प्रदेश राज्य तथा अन्य से सम्बन्धित रिट याचिका संख्या-5371 (एम0-बी0)/1993 में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 25-11-1993 को निम्नलिखित अन्तरिम आदेश पारित किये गये हैं :-

"Till further orders of this court however the respondents are directed by an ad interim mandamus to give effect to the letter dated 4.3.92(Annex. 5 & 6 to the petiti on) within two weeks from the date a certified copy of this order is furnished before them."

2- अन्तरिम आदेश में उल्लिखित पत्र दिनांक 4-3-1992 रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड सोसाइटीज तथा चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्गत किया गया है तथा समस्त जिलाधिकारियों को प्रेषित है, जिसमें यह अनुरोध किया गया है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों को कोयले की स्पान्सरिंग तथा मार्केटिंग का कार्य न दिया जाय क्योंकि उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत समितियों द्वारा स्लैक कोल की स्पान्सरिंग एवं मार्केटिंग किया जाना उक्त अधिनियम की धारा 20 के परिपेक्ष्य में विधि संगत नहीं है ।

3- आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-1212/उन्तीस-...-9/1992-26-विविध/1991, दिनांक 24 जून, 1992 में अन्य संस्थाओं के साथ-साथ जिला स्तरीय ईंट भट्ठा मालिकों की सहकारी/पंजीकृत समितियों को भी

......2/

(52)
3/6/94

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

स्लैक कोल की स्पांतरिंग के लिये पात्र माना गया है । इस शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया था कि उक्त जिला स्तरीय समितियाँ स्पांतरिंग के लिये तभी पात्र समझी जायेंगी जबकि वे स्वयं विधिक रूप से सहकारी समिति अधिनियम अथवा सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत पंजीकृत समितियाँ हों ।

4- मा० उच्च न्यायालय के उपरलिखित अन्तरिम आदेश के परिपेक्ष्य में जिला स्तरीय ईंट भट्ठा मालिकों की ऐसी समितियाँ जो रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, वह स्लैक कोल की स्पांसरिंग के लिए अब पात्र नहीं हो सकेंगी ।

5- इस मामले में विधिक राय भी ली गई है । तदोपरान्त शासन द्वारा प्रकरण में सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् शासनादेश संख्या-1212/उन्तीस-[illegible]-9-92-26-विविध/1991, दिनांक 24 जून, 1992 स्पठित शासनादेश संख्या-485/29-[illegible]-9-93-26-विविध/91, टी०सी० दिनांक 17 मार्च, 1993 में उक्त सीमा तक संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया गया है कि अब वास्तविक उपभोक्ताओं (ईंट भट्ठा मालिकों), राज्य स्तर की शीर्ष संस्थाओं, पी०सी०एफ०, उत्तर प्रदेश राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, तथा उत्तर प्रदेश स्टेटएग्रो इन्डस्ट्रियल कारपोरेशन तथा जिले की ईंट भट्ठा सहकारी समितियों, जिनका रजिस्ट्रेशन सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत हो, के पक्ष में स्लैक कोल की स्पांसरिंग की जायेगी ।

आपसे अनुरोध है कि कृपया केवल इस सीमा तक उपर्युक्त शासनादेशों को संशोधित समझा जाय तथा इस निर्णय के प्रकाश में स्लैक कोल की स्पांसरिंग, आयात तथा वितरण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(सत्य प्रकाश शर्मा)
अनु सचिव ।

[illegible]-547(1)/उन्तीस-डेस्क-ट्रयल/1994 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- संभरण निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश ।

.......3/-

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

3- रजिस्ट्रार, फर्म्स एण्ड सोसाइटीज तथा चिट्स, उत्तर प्रदेश ।

4- समस्त अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), उत्तर प्रदेश ।

5- अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

6- अतिरिक्त आयुक्त एवं उप पुलिस महा निरीक्षक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ ।

7- चीफ आफ मार्केटिंग, कोल इण्डिया लि०, 10नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-700001.

8- चीफ जनरल मैनेजर (एस० एण्ड एम०, कोल इण्डिया लि०, ए०पी०जे० हाउस, 15 पार्क स्ट्रीट, छठा तल, कलकत्ता-700016.

9- चीफ जनरल मैनेजर (मार्केटिंग) ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, 13 आर०एन० मुखर्जी रोड, कलकत्ता-700001.

10- अति० सेल्स मैनेजर, ईस्टर्न कोल फील्ड्स लि०, सेक्टोरिया, पी०ओ० डिसरगढ़, जिला बर्दवान (पश्चिम बंगाल)

11- जनरल मैनेजर, सेल्स, भारत कुकिंग कोल लि०, कोयला भवन, कोयला नगर, धनबाद (बिहार)

12- जनरल मैनेजर (सेल्स), सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, दरभंगा हाउस, रांची, बिहार ।

13- डिप्टी चीफ सेल्स मैनेजर, सेन्ट्रल कोल फील्ड्स लि०, ए०पी०जे० हाउस, तीसरा तल, कलकत्ता-700016.

14- जनरल मैनेजर (एस/सी), भारत कुकिंग कोल लि०, 6, लारेन्स रेन्ज, कलकत्ता-700001.

15- रेजीडेन्ट कमिश्नर, उत्तर प्रदेश सरकार, 12-ए, नेताजी सुभाष रोड, द्वितीय मंजिल, कलकत्ता-700001.

16- आयुक्त विक्रीकर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

17- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव फेडरेशन लि०, 32 स्टेशन रोड, लखनऊ ।

18- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, राज्य खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम लि०, 17, गोखले मार्ग, लखनऊ ।

19- प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश, स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कारपोरेशन लि, 22, डाक्टर अंबेदकर मार्ग, लखनऊ ।

20- रीजनल सेल्स मैनेजर, कोल इण्डिया लि०, इलाहाबाद बैंक बिल्डिंग, हजरतगंज, लखनऊ ।

21- समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

22- खाद्य तथा रसद अनुभाग-4

आज्ञा से,

ह० [illegible]

(सत्य प्रकाश शर्मा)

अनु सचिव।

लोक सूचना अधिकारी

क्षेत्रीय कार्यालय

फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

देहरादून

(32)

16

(95)

(95)

शीर्ष-प्राथमिकता/महत्वपूर्ण
सं0- ई-3697/28-4-1994

प्रेषक,

आर० एस0 टोलिया,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त विभागाध्यक्ष/
2. समस्त अतिरिक्त विभागाध्यक्ष उत्तराखण्ड ।
3. समस्त नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड विकास विभाग ।
4. प्रबंध निदेशक, कुमायूं/गढ़वाल म. वि. नि. अधि. निदेशक. हिलट्रान ।

उत्तराखण्ड विकास अनु0-4 लखनऊ दिनांक: 13 जून, 1994

विषय:- विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारियों द्वारा अपनी विभागीय बैठकें, जो पर्वतीय क्षेत्रों से संबंधित है, को लखनऊ मे आयोजित न की जाय ।

महोदय,

कुछ विभागों के मण्डलीय एवं जनपदीय अधिकारियों को मेरे भ्रमण के दौरान अपने कार्यक्षेत्र से बाहर पाया गया है । इनकी अनुपलब्धता की जानकारी किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि उनके विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकारियोंद्वारा उन्हें अपनी विभागीय बैठकों मे लखनऊ में बुलाया गया था ।

2. आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड विकास विभाग द्वारा कोई भी समीक्षा बैठक अब लखनऊ में नही आहूत की जाती हैं क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों के मण्डलीय और जनपदीय अधिकारि को लखनऊ आने और पुनः वापस जाने में काफी समय लग जाता है और अधिकांशतः यह पाया गया है कि ये अधिकारी इन बैठकों के बहाने इन बैठकों के आगे और पीछे का समय जोड़ते हुए लम्बे समय तक अपने कार्यक्षेत्र से बाहर रहते हैं ।

3- मण्डलायुक्तों/जिलाधिकारियों द्वारा भी विभागाध्यक्ष/नोडल अधिकरयों द्वारा इस प्रकार की विभागीय बैठक लखनऊ में बुलाये जाने पर अपना रोष व्यक्त किया है क्योंकि इस प्रकार की बैठकें लखनऊ मे आयोजित होने पर मण्डल/जनपदीय अधिकारियों की पर्वतीय क्षेत्रों में अनुपलब्धता रहती है और जिससे राजकीय कार्य अत्यधिक प्रभावित होता है । विभागाध्यक्षों से अनुरोध है कि वह जब भी अपनी स्टॉफ बैठक बुलायें तो यह सुनिश्चित कर लें कि पर्वतीय क्षेत्रों के विभागीय अधिकारियों की बैठकें पर्वतीय क्षेत्र में ही करें । केवल ऐसी बैठकों मे ही लखनऊ पर्वतीय क्षेत्र के अधिकारियों को बुलाया जाय प्रदेश व्यापी सामान्य नीति/कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की जानी हो . अन्यथा नहीं

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइट एवं चिट्स
देहरादून

4. उत्तराखण्ड के समस्त विभागाध्यक्षों और नोडल अधिकारियों द्वारा लखनऊ में किसी भी प्रकार की विभागीय बैठक आहूत किये जाने पर तात्कालिक प्रभाव से प्रतिबन्ध लगाया जाता है, और यदि इन आदेशों का उल्लंघन दृष्टिगोचर हुआ तो उपरोक्त तथ्य को उच्चतम स्तर पर प्रकाश में लाया जायेगा और ऐसे उल्लंघनों के संबंध में कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

5- यह भी देखने में आया है कि पूर्णतया पर्वतीय क्षेत्रों के लिए सृजित विभागाध्यक्ष/अतिरिक्त विभागाध्यक्ष अपने निर्धारित मुख्यालय और पर्वतीय क्षेत्रों में पर्याप्त समय व्यतीत करके अपना अधिकांश समय लखनऊ में न किसी न किसी राजकीय कार्य के बहाने व्यतीत करते रहते हैं। इस प्रकार से अनावश्यक तौर पर लखनऊ में इन अधिकारियों द्वारा समय व्यतीत करना, इन पदों के सृजन के आशय के पूर्णतया विपरीत है। उत्तराखण्ड से संबंधित समस्त विभागाध्यक्षों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह जब भी लखनऊ में भ्रमण पर आये तो अपने भ्रमण और रात्रि निवास के कार्यक्रम से संबंधित सूचना अपने विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव देने के साथ साथ सचिव, उत्तराखण्ड विकास विभाग को भी प्रेषित करते हुए संबंधित मण्डलायुक्तों से भ्रमण का लिखित पूर्वानुमोदन भी प्राप्त करेंगे।

भवदीय,

ह0/ आर0 एस0 टोलिया
सचिव।

सं0- ई- 3697/28-4-94 तद्दिनांक

प्रतिलिपि समस्त प्रमुख सचिव/सचिव को इस आशय से पृष्ठांकित कि वह इस संबंध में आवश्यक निर्देश अपने विभागीय अधिकारियों को अपने स्तर से जारी करने का कष्ट करेंगे तथा उत्तराखण्ड विकास विभाग को आदेशों की प्रति उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगे।

ह0/ आर0 एस0 टोलिया
सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

-214-

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या- आ०डि०- 3366 /दस-94-600(1)/74
लखनऊ : दिनांक 18 जुलाई, 1994

अधिसूचना

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या- 21 सन् 1860) की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994

संक्षिप्त नाम और विस्तार — 1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

नियम 10 का संशोधन — 2- उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 10 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप-नियम-	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम-
(2) आवेदन पत्र के साथ पांच रुपये की फीस दी जायेगी, जो प्रत्येक सोसाइटी के संबंध में निरीक्षण प्रत्येक विवरण या उसके भाग के लिये देय होगी।	"(2) आवेदन पत्र के साथ पचास रुपये की फीस दी जायेगी, जो प्रत्येक सोसाइटी के संबंध में निरीक्षण के प्रत्येक विवरण या उसके भाग के लिए देय होगी।"

नियम 11 का संशोधन — 3- उक्त नियमावली में, नियम 11 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप-नियम-	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम-
(3) नियम 7 (2) या 8 (2) में निर्दिष्ट दस्तावेज के प्रति के लिए आवेदन-पत्र	"(3) नियम 7 के उप नियम (2) या नियम 8 के उप-नियम (2) में

क्रमशः पृ०-2/-

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(35)

-3-

---- पाँच रुपया ।

किसी अन्य दस्तावेज या उसके भाग की प्रति या उसके उद्धरण के लिये आवेदन-पत्र ------ प्रति एक सौ शब्द या उसके भाग के लिए दस रुपया ।

निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की प्रति के लिये आवेदन पत्र -------

----------- पचास रुपये ।

किसी अन्य दस्तावेज या उसके भाग की प्रति या उसके उद्धरण के लिए आवेदन-पत्र ------- प्रति एक सौ शब्द या उसके भाग के लिए दस रुपये ।"

आज्ञा से,

(एस० ए० टी० रिजवी)
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या- ऑडिट-3366 (1)/दस-94-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।

2- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

(हरीश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(36)

क्रम-संख्या—402

रजि० नं० एल० डब्लू०/एन० पी० 56

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—2, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 8 अगस्त, 1994

श्रावण 17, 1916 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1189/सत्रह-वि-1—2(क)-19-1994

लखनऊ, 8 अगस्त, 1994

विविध

संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल महोदय ने निम्नलिखित सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1994) प्रख्यापित किया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 15 सन् 1994)

[भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है ;

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम

1—यह अध्यादेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1994 कहा जायेगा।

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में, शब्द "एक सौ पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

धारा 3-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

(क) उपधारा (3) में,—

(एक) खण्ड (क) में, शब्द "पच्चीस" के स्थान पर शब्द "एक सौ" रख दिये जायेंगे ;

(दो) खण्ड (ख) में, शब्द "पांच रुपये" के स्थान पर शब्द "बीस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(तीन) खण्ड (ग) में, शब्द "दो रुपये" के स्थान पर शब्द "दस रुपये" रख दिये जायेंगे ;

(ख) उपधारा (5) के परन्तुक में, शब्द "पचास रुपये" के स्थान पर शब्द "दो सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।

मोतीलाल वोरा,
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
नरेन्द्र कुमार नारंग,
सचिव।

No. 1189(2)/XVII-V-1—2(KA)19-1994

Dated Lucknow, August 8, 1994

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Society Ragistrikaran (Uttar Pradesh Sanshodhan) Adhyadesh, 1994 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 15 of 1994) promulgated by the Governor.

THE SOCIETIES REGISTRATION (UTTAR PRADESH AMENDMENT) ORDINANCE, 1994

(U. P. ORDINANCE NO. 15 OF 1994)

[Promulgated by the Governor in the Forty-fifth Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Societies Registration Act, 1860 in its application to Uttar Pradesh.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immediate action ;

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title

1. This Ordinance may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1994.

Amendment of section 3 of Act No. 21 of 1860

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "One Hundred fifty Rupees" the words "Five Hundred Rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 3-A

3. In section 3-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "twenty five" the words "one hundred" shall be *substituted* ;

(*ii*) in clause (*b*) *for the* words "five rupees" the words "twenty rupees" shall be *substituted* ;

(*iii*) in clause (*c*) *for* the words "two rupees" the words "ten rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso to sub-section (5) *for* the words "fifty rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*.

MOTILAL VORA,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

पी०एस०यू० पी०—ए०पी० 92 सा० विधा०—(1193)—1994—850 (मेक०)।

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title

1. This Ordinance may be called the Societies Registration (Uttar Pradesh Amendment) Ordinance, 1994.

Amendment of section 3 of Act No. 21 of 1860

2. In section 3 of the Societies Registration Act, 1860, hereinafter referred to as the principal Act, in sub-section (1), *for* the words "One Hundred fifty Rupees" the words "Five Hundred Rupees" shall be *substituted*.

Amendment of section 3-A

3. In section 3-A of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (3),—

(*i*) in clause (*a*) *for* the words "twenty five" the words "one hundred" shall be *substituted* ;

(*ii*) in clause (*b*) *for* the words "five rupees" the words "twenty rupees" shall be *substituted* ;

(*iii*) in clause (*c*) *for* the words "two rupees" the words "ten rupees" shall be *substituted* ;

(*b*) in the proviso to sub-section (5) *for* the words "fifty rupees" the words "two hundred rupees" shall be *substituted*.

MOTILAL VORA,
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
N. K. NARANG,
Sachiv.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

पी०एस०यू० ए०पी०—ए०पी० 92 सा० विधा०—(1193)—1994—850 (मेक०)।

(40)

संख्या - ऑडिट- 4261/दस-94-   141

प्रेषक,

श्री हरीश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग   लखनऊ: दिनांक 20 सितम्बर, 1994

विषय:- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 में फीस की दरों में वृद्धि हेतु संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उ0प्र0 संशोधन) अध्यादेश, 1994 (अध्यादेश सं0- 15 सन् 1994) को दिनांक 8 अगस्त, 1994 द्वारा जारी किया गया है और उसको विधेयक द्वारा विधान मण्डल के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है । अतः अधिनियम में फीस की दरों में की गई वृद्धि दिनांक 8 अगस्त, 1994 से प्रभावी है । इसके लिए एक अधिसूचना सं0- 1338/सत्रह-वि0-1-1(क)-32/1994, दिनांक 31-8-1994 (छाया प्रति संलग्न) विधायी विभाग द्वारा गजट में प्रकाशन हेतु भेजा गया है । इस अधिसूचना की गजट प्रतियां प्रकाशित होने पर आपको यथासमय भेज दी जायेगी ।

संलग्नक : उपरोक्त ।

भवदीय,

(हरीश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
... कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या- आडिट- 3366 /दस-94-600(1)/74
लखनऊ : दिनांक 12 जुलाई, 1994

अधिसूचना

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या- 21 सन् 1860) की धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :-

उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण
(प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994

1- (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (प्रथम संशोधन) नियमावली, 1994 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

(3) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

2- उत्तर प्रदेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण नियमावली, 1976 में जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 10 में, नीचे स्तम्भ -1 में दिये गये वर्तमान उप-नियम (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप-नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(2) आवेदन पत्र के साथ पांच रुपये की फीस दी जायेगी, जो प्रत्येक सोसाइटी के संबंध में निरीक्षण प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिये देय होगी।	"(2) आवेदन पत्र के साथ पचास रुपये की फीस दी जायेगी, जो प्रत्येक सोसाइटी के संबंध में निरीक्षण के प्रत्येक दिवस या उसके भाग के लिए देय होगी।"

3- उक्त नियमावली में, नियम 11 में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये उप-नियम (3) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया उप-नियम रख दिया जायेगा, अर्थात् :-

स्तम्भ-1	स्तम्भ-2
वर्तमान उप-नियम	एतद्द्वारा प्रतिस्थापित उप-नियम
(3) नियम 7 (2) या 8 (2) में निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र के प्रति के लिए आवेदन-पत्र	"(3) नियम 7 के उप नियम (2) या नियम 8 के उप-नियम (2) में

क्रमशः पृ०-2/-

UTTAR PRA...
VITTA (LEKHA PARIKSHA) ANUBHAG

The Governor is pleased to order following English translation of notificat 3366 /X-94-600(1)/74, dated 18th July

Notification

No.Audit 3366 /X-94-600(1)/74, Dated Luc 18-7-1994.

In excercise of the powers under sub-section (1 section 33 of the Societies Registration Act, 1860 (Act XXI of 1860), the Governer is pleased to make the followi rules with a view to amending the Uttar Pradesh Societies Registration Rules, 1976:-

The Uttar Pradesh Societies Registration (First Amendment) Rules, 1994.

Short title and extent

1- (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Societies Registration (First Amendment) Rules, 1994.

(2) They shall extend to the whole of Uttar Pradesh.

(3) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 10

2- In the Uttar Pradesh Societies Registration Rules, 1976, hereinafter referred to as the said rules, in rule 10, for the existing sub-rule (2) set out in Column- 1 below, the sub-rule as set out in Column-II shall be substituted, namely:-

COLUMN I	COLUMN II
Existing sub-rule	Sub-rule as hereby substituted
(2) The application shall be accompanied with a fee of	"(2) The application shall be accompanied with a fee of

-------2

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

COLUMN I Existing sub-rule	COLUMN II Sub-rule as hereby substituted
rupees five payable in respect of each society for each day of inspection or part thereof	rupees fifty payable in respect of each society for each day of inspection or part thereof."

3- In the said rules, in rule 11, for sub- rule (3) set out in column I below, the sub-rule as set out in column shall be substituted, namely :-

COLUMN I Existing sub-rule	COLUMN II Sub- rule as hereby substituted
(3) Application for copy of a certificate referred to in rule 7(2) or 8(2)- Rupees five.	"(3) Application for copy of a certificate referred to sub-rule (2) of rule 7 or sub-rule (2) of rule 8-Rupees fifty.
Application for copy or extract of any other document or part thereof-Rupees one for every one hundred words or part thereof.	Application for copy or extract of any other document or part thereof-Rupees ten for every one hundred words or part thereof."

By Order,

(S. A. T. RIZVI)
Principal Secretary.
Government of U.P.

No. Audit 3366 /X-94-20(1)/74-

Copy forwarded for information and necessary action to:-

1. Director, Printing and Stationery, U.P. Allahabad for publication of the above notification in the next issue of the official gazette;
2. Registrar, Firms societies and Chits, U.P., Lucknow.

By Order,

(Harish Chandra Pandey)
Up Sachiv

--- पाँच रुपया ।	निर्दिष्ट प्रमाण पत्र की प्रति के लिये आवेदन पत्र ------ ---------- पचास रुपये ।
किसी अन्य दस्तावेज या उसके भाग की प्रति या उसके उद्धरण के लिये आवेदन-पत्र ----- प्रति एक सौ शब्द या उसके भाग के लिए एक रुपया ।	किसी अन्य दस्तावेज या उसके भाग की प्रति या उसके उद्धरण के लिए आवेदन-पत्र ------ प्रति एक सौ शब्द या उसके भाग के लिए दस रुपये ।"

आज्ञा से,

। एस0 ए0 टी0 रिज़वी
प्रमुख सचिव, वित्त
उत्तर प्रदेश शासन ।

संख्या- आडिट-3366 ।।।/दस-94-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सरकारी गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ ।
2- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

आज्ञा से,

। हरीश चन्द्र पाण्डेय।
उप सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(43)

हरीश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव ।

अ0शा0पत्रसं0-आडिट- 261 वी0आई0पी0/
दस-94- 605(45)/94
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
लखनऊ: दिनांक 25 अक्टूबर, 1994

प्रिय महोदय,

आपसे यह कहने की मुझसे अपेक्षा की गयी है कि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 1860 की धारा 3(2) (ए) में की गयी व्यवस्थानुसार मिलते जुलते नामों (Identical) की संस्थाओं को पंजीकृत न किये जाने की व्यवस्था अधिनियम में पहले से ही विद्यमान है ।

2- शासन के प्रज्ञान में इधर कई संस्थाओं द्वारा यह बात प्रकाश में लाई गई है कि उनकी संस्थाओं के नामों से मिलते जुलते नामों की कई नई संस्थायें बन गई है जिससे उनकी संस्थाओं की साख पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । अतः अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अधिनियम की धारा 3(2) (ए) में की गई व्यवस्था का कड़ाई से अनुपालन न केवल Words में बल्कि भावना (Spirit) में भी सुनिश्चित किया जाय । कृपया इस संबंध में आवश्यक निर्देश अपने अधीनस्थ अधिकारियों को भी प्रसारित कर दें तथा कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें ।

सादर,

भवदीय,

(हरीश चन्द्र पाण्डेय)

श्री त्रिलोकी नाथ तिवारी,
रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एव चिट्स
देहरादून

कार्यालय, रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

संख्या 824-836 लखनऊ: दिनांक 11 नवम्बर, १९९४ ।

डिप्टी रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स,
लखनऊ, मेरठ, कानपुर, आगरा, बरेली, झांसी,
वाराणसी, फैजाबाद, इलाहाबाद, मुरादाबाद,
देहरादून, हल्द्वानी, गोरखपुर ।

शासन के वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग के अ०शा०पत्र संख्या आडिट-२६१ वी०आई०पी०/दस-९४-६०५(४५)/९४ दिनांक २५-१०-९४ की प्रतिलिपि भेजते हुए आप से यह अपेक्षा की जाती है कि उक्त अ०शा० पत्र में अंकित निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाय ।

11/11/94

संलग्नक:- यथोपरि ।

(त्रिलोकी नाथ तिवारी)
रजिस्ट्रार

संख्या तद्दिनांक

प्रतिलिपि, उप सचिव, वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को उनके अ०शा०पत्र सं०आडिट-२६१वी०आई०पी०/दस-९४-६०५(४५)/९४ दि० २५-१०-९४ के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित ।

11/11/94
रजिस्ट्रार

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज व चिट्स
देहरादून

(45)

प्राप्ति का दिनांक 8-3-
प्राप्ति की संख्या 3210

संख्या- 932/उन्तीस-डेस्क-1-1995
= = = = = = = = = = = = = = =

प्रेषक,

श्री बृजेन्द्र,
सचिव,
खाद्य तथा रसद विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर-प्रदेश ।

खाद्य तथा रसद विभाग,
डेस्क इकाई -1

लखनऊ: दिनांक: 8 फरवरी, 1995

विषय:- ईंट भट्ठों के प्रयोगार्थ रेल तथा सड़क द्वारा स्लैक कोल की स्पांसरिंग, आयात तथा वितरण के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मैसर्स हिमगिरि कोल कम्पनी लि0 तथा अन्य से संबंधित रिट याचिका संख्या-50371-(एम/बी)/93 में मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ पीठ द्वारा दिनांक 25-11-93 को पारित अंतरिम आदेश के परिपेक्ष्य में शासनादेश संख्या-547/29-डेस्क-1/94, दिनांक 27 मई, 94 द्वारा यह आदेश दिये गये थे कि जिला स्तरीय ईंट भट्ठा मालिकों की ऐसी समितियां, जो सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं, वे स्लैक कोल की स्पांसरिंग के लिए पात्र नहीं होंगी । अब शासन को जानकारी में लाया गया है कि उपर्युक्त रिट याचिका मा0उच्च न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 28-10-94 द्वारा खारिज कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त शासन को जानकारी में यह भी लाया गया है कि रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उ0प्र0, लखनऊ का पत्र दिनांक 4-3-92 रिट याचिका कानपुर ब्रिक किल्न ओनर्स एसोसिएशन कानपुर बनाम उत्तर प्रदेश सरकार एवं अन्य में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 26-6-92 द्वारा स्थगित किया जा चुका है ।

2- इस स्थिति में शासन द्वारा इस मामले पर पुनर्विचार किया गया है । चूँकि सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 में इस अधिनियम के

.........2,

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

प्राविधानों के विरुद्ध आचरण करने वाली पंजीकृत समितियों के विरुद्ध कार्यवाही की व्यवस्था उपलब्ध है अतः शासन के विचार में वास्तविक उपभोग के लिए स्लैक कोल का आयात करने वाली पंजीकृत समितियों के विरुद्ध स्पांसरिंग पर प्रतिबंध लगाने का कोई औचित्य नहीं है। स्लैक कोल के स्पांसरिंग के लिए समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में यह व्यवस्था रखी गयी कि केवल वे ही पंजीकृत समितियां स्लैक कोल का आयात कर सकेंगी जिनके सदस्य इसके वास्तविक उपभोक्ता (ईंट भट्ठा मालिक होंगे)। यदि कोई समिति सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की किसी धारा का उल्लंघन करके स्लैक कोल का व्यापार करती है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की पर्याप्त व्यवस्था सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 और समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में है, ऐसी स्थिति में शासनादेश संख्या-547/29-डेरक-1/94, दिनांक 27 मई, 94 को बनाये रखने का कोई औचित्य/आधार नहीं है। तदनुसार उक्त शासनादेश एतद्द्वारा रद्द किया जाता है। अब इस शासनादेश के रद्द होने के परिणामस्वरूप शासनादेश संख्या-1212/29-9-92-26-विविध/91, दिनांक 24 जून, 92 एवं 485/29-9-93-26(विविध)/91 टी०सी०, दिनांक 17 मार्च, 1993 में दी गयी शर्तों के अनुरूप ईंट भट्ठा मालिकों की पंजीकृत समितियों के पक्ष में भी स्लैक कोल की स्पांसरिंग की जा सकेगी।

भवदीय,

(वृजेन्द्र)
सचिव।

संख्या-932(1)/29-डेरक-1-1995, तद्दिनांक
= = = = = = = = = = = = =

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संचरण निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (10 अतिरिक्त प्रतियों सहित)।
2- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स, उत्तर प्रदेश।
- समस्त अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति), उत्तर प्रदेश।
- अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य तथा रसद विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- अतिरिक्त आयुक्त एवं प्रवर्तन निरीक्षक, खाद्य तथा रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
- चीफ आफ मार्केटिंग, कोल इण्डिया लि०, 10-नेताजी सुभाष रोड, कलकत्ता-70000.

..........,

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

महत्वपूर्ण/शीर्ष प्राथमिकता

संख्या- 1664/38-6-95-1664/71टी0सी0

प्रेषक,

अनन्त कुमार सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला ग्राम्य विकास अभिकरण
उ0प्र0 ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-6

लखनऊ: दिनाँक: जून 28 ,1995

विषय:- जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की गवर्निंग बाडी की संरचना ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0 -472/38-6-95-1664/71, दिनाँक 9 मार्च,1995 के प्रस्तर-1 के बिन्दु सं0-2 के अनुक्रम में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि संसद सदस्य एंव सदस्य विधान सभा की भाँति सदस्य विधान परिषद को भी जिला ग्राम्य विकास अभिकरण की शासी निकाय की बैठक में स्वंय भाग लेना चाहिये ।

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझा जाय ।

भवदीय,

अनन्त कुमार सिंह
विशेष सचिव ।

प0सं0-1664(1)/38-6-95तद्दिनाँक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यककार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- समस्त मण्डलायुक्त,उ0प्र0 ।
2- समस्त संयुक्त/उपविकास आयुक्त,उ0प्र0 ।
3- समस्त मुख्य विकास अधिकारी,उ0प्र0 ।
4- समस्त अपर जिलाधिकारी(परि0)/परियोजना निदेशक,डी0आरडीए,उ0प्र0
5- निबन्धक,फर्म एंव सोसाइटीज ,उ0प्र0 ,लखनऊ ।
6- सम्बन्धित विभागाध्यक्ष,
7- उपायुक्त(आईआरडी)भारत सरकार,ग्रामीण विकास मंत्रालय,कृषि भवन, नई दिल्ली
8- आयुक्त,ग्राम्य विकास उ0प्र0 जवाहर भवन,लखनऊ ।
9- ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अनुभाग ।
10- गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

अनन्त कुमार सिंह
विशेष सचिव ।

नाज़/

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स,
उ0 प्र0, लखनऊ

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(48)

प्रेषक,

रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ ।

25

सेवा में,

उप निबन्धक/सहायक निबन्धक
फैजाबाद, कानपुर, आगरा, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी,
गोरखपुर, बरेली, हल्द्वानी, देहरादून, मुरादाबाद,
इलाहाबाद, झाँसी एवं आजमगढ़ ।

पत्रांक -1279-96 लखनऊ :: दिनांक 25.7.1996.

विषय :- उत्तर प्रदेश चिटफण्ड [तृतीय संशोधन] नियमावली-1996.

महोदय,

उत्तर प्रदेश चिटफण्ड नियमावली 1988 में किया गया तृतीय संशोधन 1996 की अधिसूचना संख्या आडिट-1917/दस-96-605[22]/77 दिनांक 20-6-96 की प्रति संलग्न कर के अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है ।

भवदीय

[मोती लाल]
रजिस्ट्रार.

संलग्नक :: यथोपरि ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(49)

उत्तर प्रदेश सरकार
वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग
संख्या-आडिट-1917/दस-96-605(22)/77
लखनऊ : : दिनांक 20 जून, 1996

182

अधिसूचना

चिट फण्ड अधिनियम, 1982 (अधिनियम संख्या 40 सन् 1982) की धारा 89 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है:-

उत्तर प्रदेश चिट फण्ड (तृतीय संशोधन) नियमावली 1996

नाम ... रम्भ 1-(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश चिट फण्ड (तृतीय संशोधन) नियमावली, 1996 कही जायेगी।

(2) यह सरकारी गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

25 का 2- उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 में, जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है, नियम 25 में, खण्ड (8) के पश्चात निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात:-

" (9) प्रधान द्वारा संचालित सभी चिटों के सम्बन्ध में अनुमोदित बैंको में जमा रकमों को दर्शाते हुये प्रपत्र बाईस में एक रजिस्टर होगा"।

57 का 3- उक्त नियमावली में, नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 57 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:-

...ो के ...वय के ...ीस का	स्तम्भ-1 वर्तमान नियम		स्तम्भ-2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
	57(1) यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नाम निर्देशित किसी विवाद के संबंध में पत्रावली में सभी कार्यवाही करेगा जब प्रपत्र तरह में ऐसे विवाद के लिए निर्देश संबंधी आवेदन पत्र पर निम्नलिखित मानक्रम के अनुसार न्यायालय फीस स्टाम्प चिपकाया गया हो, अर्थात-	रजिस्ट्रार को किसी विवाद के निर्देश के लिए फीस का उद्ग्रहण	57(1) उप नियम (2) में यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, यथा स्थिति, रजिस्ट्रार या उसका नाम-निर्देशिती प्रपत्र-तरह में आवेदन पत्र प्राप्त होने और इस अध्याय के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के लिए परिशिष्ट-दो में विहित फीस का भुगतान हो जाने पर किसी विवाद को पत्रावली पर ग्रहण करेगा।

क्रमश:-2

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज चिट्स
देहरादून

।।। समुचित न्यायालय फीस रू० पै०

।एक। साधारण धनराशि का दावा

।क।	जब विवाद में दावेंग की रकम 1000 रू० से अधिक न हो	25.00
।ख।	जब ऐसी रकम 1000 रू० से अधिक किन्तु 5000 रू० से अधिक न हो	50.00
।ग।	जब ऐसी रकम 5000 रू० से अधिक हो	75.00

।दो। जटिल धन का दावा

।क।	जब विवाद में दावा की रकम 1000 रू० से अधिक न हो	50.00
।ख।	जब ऐसी रकम 1000 रू० से अधिक किन्तु 5000 रू० से अधिक न हो	75.00
।ग।	जब ऐसी रकम 5000 रू० से अधिक हो	100.00

।तीन। समस्त अन्य विवाद 100.00

स्पष्टीकरण:- इस उप नियम के प्रयोजन के लिए,

" साधारण धन का दावा " का तात्पर्य ऐसे प्रधान के दावों से है जिसके कारबार में चिटों के संचालन हो जिसके अन्तर्गत ऋण बन्धपत्रो, वचन-पत्रो, प्रवेशो या अभिस्वीकृतियों पर आधारित इनामी रकम का संवितरण भी है, और " जटिल धन का दावा " का तात्पर्य साधारण धन के दावा से भिन्न समस्त धन के दावों से है। इस उप नियम के प्रयोजनों के लिए किसी विवाद के वर्गीकरण संबंधी प्रश्न का विनिश्चय विवाद का विनिश्चय करने वाले रजिस्ट्रार या उसके नाम-निर्देशिती द्वारा किया जायेगा और यथास्थिति रजिस्ट्रार या उसके नाम-निर्देशिती का विनिश्चय अन्तिम होगा।

क्रमशः--

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(51)

2‌ नीचे विनिर्दिष्ट किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेज रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देशिती के समक्ष तब तक दाखिल नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पर समुचित न्यायालय फीस स्टाम्प जैसा कि उसके सामने विनिर्दिष्ट है, न चिपका दिया जाय:		
		समुचित न्यायालय फीस
		रू0 पै0
(एक)	वकालतनामा	2.00
(दो)	स्थगन के लिए आवेदन पत्र	10.00
(तीन)	अन्तरिम स्थगन या अनुतोष के लिए आवेदन पत्र	25.00

(3)(क) किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला रजिस्ट्रार या उसका नाम-निर्देशिती विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी राशि जो उसकी राय में व्यय को जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, रजिस्ट्रार या उसके नाम-निर्देशिती को फीस का भुगतान भी है, पूरा करने के लिए आवश्यक हो, जमा करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) रजिस्ट्रार या उसके नाम-निर्देशिती को उपर्युक्त जमा की गई रकम को ध्यान में रखने के पश्चात् रजिस्ट्रार द्वारा निर्धारित मानक्रम के अनुसार विवाद का अवधारण करने की फीस और व्यय का प्रधान द्वारा अपनी निधि से या विवाद के ऐसे पक्षकार

(2) नीचे विनिर्दिष्ट किसी प्रकार का कोई दस्तावेज रजिस्ट्रार या उसके नाम-निर्देशिती के समक्ष तब तक दाखिल नहीं किया जायेगा जब तक कि उस पर समुचित न्यायालय फीस,स्टाम्प जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, न चिपका दिया जाय:-

		समुचित न्यायालय फीस
		रू0 पै0
(एक)	वकालतनामा	2.00
(दो)	स्थगन के लिए आवेदन पत्र	10.00
(तीन)	अन्तरिम स्थगन या अनुतोष के लिए आवेदन पत्र	25.00

(3)(क) किसी विवाद का विनिश्चय करने वाला रजिस्ट्रार या उसका नाम-निर्देशिती विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से ऐसी राशि जो उसकी राय में व्यय को जिसके अन्तर्गत, यथा-स्थिति, रजिस्ट्रार या उसके नाम निर्देशिती को फीस का भुगतान भी है, पूरा करने के लिए आवश्यक हो, जमा करने की अपेक्षा कर सकता है।

(ख) रजिस्ट्रार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी फीस और व्यय का मानक्रम विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसका भुगतान उसको या उसके नाम-निर्देशिती को किया जायेगा।

क्रमशः--4

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

या पक्षकारों द्वारा जिसे/जिन्हें वह उचित समझे, भुगतान किये जाने का आदेश देने की शक्ति होगी।

(ग) रजिस्ट्रार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा ऐसी फीस और व्यय का मानक्रम विनिर्दिष्ट कर सकता है जिसका भुगतान उसको या उसके नाम-निर्देशिती को किया जायेगा।

(ग) रजिस्ट्रार या उसका नाम-निर्देशिती प्रधान से या विवाद के पक्षकार या पक्षकारों से जैसा वह उचित समझे, खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मानक्रम के अनुसार विवाद को अवधारित करने के लिये फीस और व्ययों को संग्रहित करेगा।

नये प्रपत्र का बढ़ाया जाना

4- उक्त नियमावली में, परिशिष्ट-एक में, प्रपत्र-इक्कीस के पश्चात् निम्नलिखित प्रपत्र बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:-

प्रपत्र-बाईस

नियम 25(9) देखिये

प्रधान द्वारा संचालित सभी चिटों के सम्बन्ध में अनुमोदित बैंकों में जमा रकम को दर्शाने वाले रजिस्टर का प्रपत्र

.................कार्यालय जहाँ चिट करार रजिस्ट्रीकृत है।

चिट करार की रजिस्ट्रीकरण संख्या और रजिस्ट्रीकरण का वर्ष.................।

चिट करार के अनुसार क्रम संख्या	अभिदाता का नाम और पूरा पता	किश्तों की क्रम संख्या और इनाम निकाले जाने का दिनांक	इनाम की रकम से काटी गई भावी अभिदान की रकम	असंदत्त इनाम रकम की रकम	अनुमोदित बैंक का नाम जहाँ रकम जमा की गयी है।	जमा करने का दि०	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट-दो का संशोधन

5- उत्तर प्रदेश चिट फण्ड नियमावली, 1988 में, परिशिष्ट-दो में, मद संख्या-13 के पश्चात्, निम्नलिखित मद बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-

	रुपया	पैसा
"14-रकम के दावों के विवादों के विनिश्चयों के लिये:-		
(क) जब विवादित दावों की रकम 1000 रुपये से अधिक न हो।	50.	00
(ख) जब ऐसी रकम 1000 रुपये से अधिक हो किन्तु 5000 रुपये से अधिक न हो	200.	00
(ग) जब ऐसी रकम 5000 रुपये से अधिक हो।	500.	00."

आज्ञा से,

(नृपेन्द्र मिश्र)
प्रमुख सचिव, वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
चिट फण्ड्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

संख्या-आडिट-1917(1)/दस-96-तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय कम्पनी विभाग, केन्द्रीय कार्यालय कक्ष, मुम्बई -4400023 को उनके पत्र संख्या-1736-50 (20)-94/95 दिनांक 13-3-1995 के सन्दर्भ में।

2- संयुक्त मुख्य अधिकारी, भारतीय रिजर्व बैंक, 6 संसद मार्ग, नई दिल्ली।

3- रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4- संयुक्त निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया हिन्दी तथा संलग्न अंग्रेजी अधिसूचना को दिनांक 20-6-1996 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 खण्ड (क) में प्रकाशित कराने तथा इसकी मुद्रित 25 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मुहम्मद रफीक सिद्दीकी)
अनु सचिव।

VITTA (LEKHA PARIKSHA) ANUBHAG (54)

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification No.Audit-1917/X/96-605(22)77 dated Jun 20, 1996.

NOTIFICATION

No.Audit/X-96-605(22)77

Lucknow; Dated : 20 June, 1996

In exercise of the powers under section 89 of the Chit Funds Act, 1982 (Act No.40 of 1982), the Governor, in consultation with the Reserve Bank of India, is pleased to make the following rules with a view to amending the Uttar Pradesh Chit Funds Rules, 1988.

THE UTTAR PRADESH CHIT FUNDS (THIRD AMENDMENT) RULES, 1996

SHORT TITLE and Commencement : 1. (1) These Rules may be called the Uttar Pradesh Chit Funds (Third Amendment) Rules, 1996.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

Amendment of Rule 25 2. In the Uttar Pradesh Chit Funds Rules, 1988, hereinafter referred to as the said rules, in rule 25, after clause (8), the following clause shall be substituted, namely :-

"9 - A Register in Form XXII showing the amounts deposited in approved banks in respect of all Chits conducted by the foreman."

Amendment of Rule 57 : 3. In the said rules for the existing rule 57 set out in column I below, the rule as set out in column II shall be substituted, namely :

COMMUMN - 1. Existing Rule		COLUMN II Rule as hereby substituted :	
Payment of Fees for decisions of disputes 57	(1)The Registrar of his nominee, as the case may be, may take a dispute on file only if the application regarding reference for such dispute -	Levy of fees 57 for reference of a dispute to the Registrar	(1) Save as otherwise provided in sub-Rule(2), the Registrar or his nominee, as the case may be on an applicat In form-XVII and on payment of

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

P.T.O.

... the following scales namely :

Appendix II for matters specified under this Chapter, may take a dispute on file.

Proper Court Fee :	Rs. P.
(i) Simple Money Claims -	
a) When the amount of the claim in dispute does not exceed Rs.1,000/-	25.00
b) When the such amount exceeds Rs.1,000/- but does not exceed Rs.5,000/-	50.00
c) When such amount exceeds Rs.5,000/-	75.00
ii) Complicated money claims-	
a) When the amount of the claim in dispute does not exceed Rs.1,000/-	50.00
b) When such amount exceeds Rs.1,000/- but does not exceed Rs.5,000/-	75.00
c) When such amount exceeds Rs.5,000/-	100.00
iii) All other disputes	100.00

EXPLANATION :- For the purposes of this sub-rule, "Simple money claim" means the claim of a foreman whose business consist of conducting chits including disbursement of prize amount based on loan towards, promi-ssory notes, admissions or acknowled-gements and "complicated money claims" means all money claims other than simple money claims. The question regarding the classification of a dispute for the purpose of this sub-rule shall be decided by the Registrar or his nominee deciding the dispute & the decisions of the Registrar or his nominee as the case may be, shall be final.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

...3

(2) No document of any of the kinds specified below shall be filed before the Registrar or his nominee unless it is affixed with the proper court fee stamp as specified against it.	(2) No document of any kind specified below shall be filed before the Registrar or his nominee unless it is affixed with the proper court fee stamp as specified below :
	Proper Court Fee : Rs. P.
i) Vakalatnama 2.00	i) Vakalatnama 2.00
ii) Application for adjournment 10.00	ii) Application 10.00 for adjournment
iii) Application for interim stay or relief. 25.00	iii) Application for interim stay or relief. 25.00
(3) a) The Registrar or his nominee deciding any dispute may require the party or pa-rties to the dispute to deposit such sum as may . in his opinion, be necessary to meet the expenses including payment of fee to the Registrar or his nominee, as the case may be.	(3) a) The Registrar or his nominee deciding any dispute may require the party or parties to the dispute to deposit such sum as may, in his opinion be necessary to meet the expenses includ-ing payment of fee to the Registrar or his nominee as the case may be.
b) The Registrar or his nominee shall have power to order the fees and expen-ses of determindng the dispute to be paid by the Foreman out of his funds or by such party, or parties to the dispute, as he may think fit, according to the scale laid down by the Regis-trar, after taking into account the amount deposited as above.	b) The Registrar may, by genera or special order specify the scale of fee and expen-ses to be paid to him or to his nominee.

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइ... , चिट्स
देहरादून

contd ...4

(57)

(c) The Registrar may, by general or special order specify the scale of fees and expenses to be paid to him or his nominee.	(c) The Registrar or his nominee shall collect the fees and expenses for determining the dispute from the foreman or from the party, or parties to the dispute, as he may think fit, according to the scale specified in clause(b) of this subrule.

Insertion of new form

4. In the said rules in appendix I, after Form XXI, the following Form shall be inserted namely :-

FORM XXII
See Rule 25 (9)

FORM OF REGISTER SHOWING THE AMOUNT DEPOSITED IN APPROVED BANKS IN RESPECT OF ALL CHITS CONDUCTED BY THE FOREMAN.

Office Where The Chit Agreement is registered _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ The Registration Number and year of Registration of the Chit Agreement _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Serial Number according to the Chit Agreement	Name and Full Address of the subscriber	The Serial number of instalment and dt. of draw	Amount of Future subscription deducted from the prize Amt.	Amt. of unpaid prize amount	Name of the approved Bank Where the amount is deposited	Date of Deposit	Remarks
1	2	3	4	5	6	7	8

Amendment of Appendix II

5. In the Uttar Pradesh Chit Funds Rules 1988, in Appendix II after item no. 13 the following item shall be inserted, namely : -

		Rs. p.
"14.	For decisions of disputes of money claims	
(a)	When the amount of the claim in dispute does not exceed Rs. 1000/-	50.00
(b)	When such amount exceeds Rs. 1000/- but does not exceed Rs. 5000/-	200.00
(c)	When such amount exceeds Rs. 5000/-	500.00

By Order:

(NRIPENDRA MISHRA)
Principal Secretary,
Finance Department

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

सर्वोच्च प्राथमिकता

1558/सत्र-सं0-1-97-70 सं/84

प्रेषक,

श्री [illegible]
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0शासन
समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0,
समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

संसदीय कार्य अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक, 2 अगस्त, 1997

विषय: जन प्रतिनिधियों से प्राप्त पत्रों का शीघ्र निस्तारण ।

महोदय,

माननीय सांसदों एवं विधायकों से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति तत्काल स्वीकार किये जाने, उनके शीघ्र निस्तारण तथा उन पर कृत अन्तिम कार्यवाही की सूचना मा0 सांसदों/विधायकों को समय से प्रेषित किये जाने के विषयक शासनादेश संख्या 719/सत्र-सं-1-97-70सं/84 दिनांक 27 मई, 97 का कृपया संदर्भ लें ।

शासन के संज्ञान में आया है कि शासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद कतिपय अधिकारियों द्वारा मा0 सांसदों एवं विधान मण्डल के सदस्यों आदि से प्राप्त पत्रों की प्राप्ति तक स्वीकार नहीं की जा रही है तथा संबंधित अधिकारियों/विभागों द्वारा उनके पत्रों पर कृत कार्यवाही से भी उन्हें अवगत नहीं कराया जाता है । यह स्थिति खेद जनक है तथा इससे शासन की छवि धूमिल होती है । यह गम्भीर बात है कि इस संबंध में शासन द्वारा बारम्बार जारी निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा रहा है ।

उक्त परिप्रेक्ष्य में मुझे पुनः यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया सुनिश्चित करें कि मा0 सांसदों/विधान मण्डल के सदस्यों एवं अन्य जन प्रतिनिधियों से प्राप्त होने वाले पत्रों की प्राप्ति बिना किसी विलम्ब के प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार की जाय, उन पर तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जाय तथा उन पत्रों पर की गयी कार्यवाही/मामले के अन्तिम निस्तारण की सूचना तुरन्त मा0 सांसद/विधायक को भेज दी जाय ।

यह भी अनुरोध है कि उक्त आदेशों से अपने अधीनस्थ समस्त निदेशालयों/कार्यालयाध्यक्षों/उपक्रमों/निगमों को अवगत कराते हुए इन आदेशों का अक्षरशः व तत्परता से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक व्यवस्था

...2..

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

59

संख्या—प०मा०नि०—356/दस-22 (एम)/97

26

प्रेषक,

श्री सुशील चन्द्र त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव, वित्त,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।

(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक 23 दिसम्बर, 1997

(पद मापदण्ड ...रण) अनुभाग

विषय : वेतन समिति, उ० प्र० (1997) के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राजकीय कर्मचारियों को दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमानों की स्वीकृति।

महोदय,

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के विभिन्न वर्गों के कर्मचारियों के लिए वेतन समिति का गठन संकल्प संख्या-प०मा०नि०-225/दस-97-5 (एम)/97, दिनांक 9 अक्टूबर, 1997 द्वारा किया गया। उक्त समिति द्वारा अपना प्रथम प्रतिवेदन शासन को प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रतिवेदन की संस्तुतियों को सम्यक् विचारोपरान्त कतिपय संशोधनों के साथ संकल्प संख्या-प०मा०नि०-352/दस-20(एम)/97, दिनांक 22 दिसम्बर, 1997 द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

2—वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन को स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान दिनांक 1 जनवरी, 1996 से संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3—उक्त संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगा, जो राज्य सरकार द्वारा अपनाये गये समयमान वेतनमान के अन्तर्गत निर्धारित सेवा अवधि/शर्तों की पूर्ति पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 1-1-1996 को प्राप्त कर रहे थे। यह सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान ऐसे पदधारकों को वैयक्तिक रूप से मिलता रहेगा।

4—ऐसे पदधारक जिनको वर्तमान व्यवस्था के अधीन प्रोन्नति के पद का वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान दिनांक 1-1-1996 के बाद पूर्व के वेतनमान में वैयक्तिक रूप से प्राप्त हुआ है, पुनरीक्षित वेतनमान में समयमान वेतनमान का लाभ वर्तमान व्यवस्था के आधार पर स्थगित रहेगा अर्थात् ऐसे पदधारकों को प्रोन्नति वेतनमान अथवा उच्च वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा। इसी प्रकार यदि पूर्व के वेतनमान में सेवा अवधि के आधार पर एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वृद्धिरोध वेतनवृद्धि दिनांक 1-1-1996 के बाद प्रदान की जा चुकी है तो उसके आधार पर दिनांक 1-1-1996 से पुनरीक्षित वेतनमान में लाभ देय नहीं होगा और यह स्थगित रहेगा। दिनांक 1-1-1996 के बाद उपरोक्त मामलों में निर्णय बाद में लिया जायेगा।

5—ऐसे संवर्ग/पदों, जिनके वेतनमान का उच्चीकरण/संशोधन दिनांक 1-1-1996 के बाद हुआ है, के पदधारकों को यह विकल्प होगा कि वे या तो दिनांक 1-1-1996 को विद्यमान वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान अथवा उच्चीकृत/संशोधित वेतनमान का सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान उच्चीकरण/संशोधन के दिनांक से चुन लें।

6—वेतन समिति के प्रथम प्रतिवेदन की संस्तुतियां लागू होने के फलस्वरूप पुनरीक्षित वेतनमानों में वेतन निर्धारण तथा संशोधित दरों पर देय महंगाई भत्ता के आदेश अलग से प्रसारित किए जायेंगे।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(60)

7—न्यायिक सेवाओं के अधिकारियों के वेतनमानों का पुनरीक्षण प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग के विचाराधीन है। अतः उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमान उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा/उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों पर लागू नहीं होंगे।

8—राजकीय प्राइमरी/जूनियर हाईस्कूल तथा हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों सहित समस्त शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों, स्नातक/स्नातकोत्तर महाविद्यालयों/विश्वविद्यालयों, विभिन्न इंजीनियरिंग कालेजों तथा कृषि विश्वविद्यालयों के शिक्षणेतर कर्मचारियों, कार्य-प्रभारित कर्मचारियों, स्वशासी संस्थाओं के कर्मचारियों/अधिकारियों, प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं के शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों के सम्बन्ध में तथा कुछ विभाग ऐसे हैं, जहां पर उन्होंने अपने विद्यालय खोल रखे हैं और उनमें शिक्षक नियुक्त हैं, ऐसे विद्यालयों में भी शिक्षक एवं शिक्षणेतर कर्मचारियों पर उक्त सामान्य पुनरीक्षित वेतनमान लागू नहीं होंगे।

9—उपर्युक्त पुनरीक्षित वेतनमानों के लागू होने के फलस्वरूप निर्धारित वेतन तथा संशोधित दरों पर महंगाई भत्ता के अतिरिक्त अन्य लाभ यथा विशेष वेतन/वैयक्तिक वेतन, अन्य भत्ते आदि की धनराशि में (दिनांक 1-1-1996 से 30-9-1997 तक की अवधि में) कोई परिवर्तन नहीं होगा। दिनांक 1-10-1997 से आगे की अवधि में इनकी धनराशि दिनांक 1-10-1997 को देय धनराशि ही रहेगी। परन्तु यदि किसी मामले में स्थिति दिनांक 1-10-1997 से 1-12-1997 तक परिवर्तित होती है तो ऐसे मामले में दिनांक 1-12-1997 की स्थिति के अनुसार अनुमन्य धनराशि देय होगी।

10—इस शासनादेश द्वारा केवल राजकीय कर्मचारियों/अधिकारियों के वेतनमान उपरोक्त प्रस्तरों के अधीन संलग्न तालिका के अनुसार पुनरीक्षित माने जायेंगे और इनके लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा अलग से आदेश निर्गत करने की आवश्यकता नहीं होगी।

भवदीय,
सुशील चन्द्र त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार
(पुनरीक्षित वेतनमानों की तालिका)

संख्या–प०मा०नि०—356(1)/दस-22 (एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1—माननीय राज्यपाल महोदय के सचिव।

2—सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।

3—रजिस्ट्रार, हाईकोर्ट, उ० प्र०, इलाहाबाद।

4—समस्त कोषाधिकारी, उ० प्र०।

5—उ० प्र० सचिवालय के समस्त अनुभाग।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

संख्या–प०मा०नि०-356(2)/दस-22 (एम)/97, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)—I एवं II तथा (आडिट) I एवं II, उ० प्र०, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आलोक रंजन,
सचिव, वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
कर्मचारी [illegible] एवं चिट्
देहरादून

(6)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग
संख्या-आडिट-157/दस-99-607(8)/66
लखनऊ :: दिनांक 11 जनवरी, 1999

अधिसूचना/शुद्धि पत्र

अधिसूचना संख्या-आडिट-2050/दस-98-607(8)/66, दिनांक 14 जुलाई, 1998, जो "उत्तर प्रदेश भारतीय भागीदारी (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 1998" से सम्बन्धित है, के हिन्दी संस्करण के स्तम्भ-2 में उल्लिखित नियम-14(5) के सम्मुख अंकित "एक सौ रुपए" के स्थान पर "एक सौ पचास रुपए" पढ़ा जाय।

2- उपरोल्लिखित अधिसूचना को एतद्द्वारा उक्त सीमा तक शुद्ध समझा जाय।

सुशील चन्द्र त्रिपाठी
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या-आडिट-157 (1)/99-दिनांकित।

(1) उपरोक्त अधिसूचना की टंकित प्रति (2 प्रतियों में) निदेशक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस अधिसूचना/शुद्धि पत्र को आगामी असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट भाग-4, खण्ड (ख) में प्रकाशित कराकर, इसकी 25 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त अधिसूचना/शुद्धि पत्र की प्रति रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
(मधु माथुर)
अनु सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(63)

R. 4602
3-2-99

3252

(108)

H.C

प्रेषक,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

सेवा में,

उप निबंधक/सहायक निबंधक,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
मुख्यालय-लखनऊ, मेरठ, आगरा, कानपुर, फैजाबाद, इलाहाबाद,
वाराणसी, गोरखपुर, बरेली, मुरादाबाद, देहरादून, हल्द्वानी,
आजमगढ़, सहारनपुर, झाँसी।

संख्या: — 967 – 983 / फर्म दिनांक 1-2-99

विषय:- फर्म पंजीकरण के शुल्क में वृद्धि संबंधी शासनादेश को प्रभावी कार्यवाही हेतु भेजा जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या आर्थिक-157/दस-99-6 607(8)/66 दिनांक 16-1-99 की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासनादेश में जारी अधिसूचना के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय

(जगन्नाथ शुक्ल)
उप निबंधक

समस्त पत्रावली प्रतिलिपि ... को निर्देशित किया जाता है कि 14-7-98 के बाद की फर्म रजिस्ट्रेशन (50/-) ... जमा कराये।

3/2/99

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

13-OCT-2008 11:32 FROM: TO:01352742812 P.1

(63)

कोर्टकेस/प्राथमिकता

संख्या-आडिट-2729/दस-99-608(1)2/99

प्रेषक,

श्रीमती मधु माथुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

सहायक रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
151/10/1, देव विहार जाखन राजपुर रोड,
देहरादून ।

वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग, लखनऊ :: दिनांक 15 सितम्बर, 1999

विषय :- रिट नोटिस संख्या-4307/99 सुरेश चन्द्र अग्रवाल बनाम सहायक रजिस्ट्रार, देहरादून ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य स्थाई अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-डब्ल्यू/2552/बी, दिनांक 10.3.99 जो शासन को सम्बोधित और प्रतिलिपि आपको भी पृष्ठांकित है, की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रसंगत रिट नोटिस/याचिका के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीया,

(मधु माथुर)
अनु सचिव ।

संख्या-आडिट-2729(1)/दस-99-तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

(मधु माथुर)
अनु सचिव ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(14)

463 संख्या-आडिट-5145/दस-99-607(4)/77

प्रेषक,

श्रीमती मधु माथुर,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ0प्र0, लखनऊ।

D.R.
रजिस्ट्रार
30/11/99
29

लखनऊ :: दिनांक: 30 नवम्बर, 1999

वित्त(लेखा-परीक्षा)अनुभाग,

विषय:- सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के अंतर्गत लिए जाने वाले पंजीकरण, नवीकरण आदि से संबंधित शुल्क में वृद्धि किए जाने से संबंधित अध्यादेश, 1999

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-4169, दिनांक 31.1.1988 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अंतर्गत पंजीकरण, नवीकरण आदि से संबंधित फीस में वृद्धि करते हुए श्री राज्यपाल ने अधिसूचना संख्या-2081/17-वि-1-2(क)24/1999, दिनांक 25.11.1999 के माध्यम से सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-23 1999) प्रख्यापित कर दिया है।

उपरिवर्णित अधिसूचना एवं अध्यादेश की छायाप्रति संलग्न करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आप कृपया तदनुसार यथावश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि

भवदीया,

(मधु माथुर)
अनु सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(65)

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-23 सन् 1999) 30
(भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये ।

अध्यादेश

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं जिनके कारण तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक है;

अतएव, अब, संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

संक्षिप्त नाम — 1- यह अध्यादेश सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 कहा जायगा ।

अधिनियम संख्या-21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन — 2- सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में,--

(क) शब्द "पाँच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायगें, अर्थात् :-

"परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन —— फीस को बढ़ा सकती है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझें, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करें ।"

......2/

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

धारा 5-क का संशोधन

3- मूल अधिनियम की धारा 5-क में,—

(एक) उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायेंगे, अर्थात् :-

"(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या दो सौ रुपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन-पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है :

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गई फीस, धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो ।

(ख) चालीस रुपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय फीस के एक बटा पाँच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है; और

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये बीस रुपये के दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन

.......3/

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(67)

उपधारा (2) में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है ।"

(दो) उपधारा (5) में, परन्तुक में शब्द "दो सौ रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन देय अतिरिक्त फीस के दस गुना से अनधिक हो और जिसे, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय," रख दिये जायेंगे ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(68)

31

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के सम्बन्ध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 25 नवम्बर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

69

अधिनियम संख्या 21 सन् 1860 की धारा 3 का संशोधन

2—सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में उपधारा (1) में,—

(क) शब्द "पांच सौ रुपये" के स्थान पर शब्द "एक हजार रुपये" रख दिये जायंगे;

(ख) वर्तमान परन्तुक के स्थान पर निम्नलिखित परन्तुक रख दिये जायंगे, अर्थात् :—

"परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर, सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस उपधारा के अधीन संदेय फीस को बढ़ा सकती है :

परन्तु यह कि रजिस्ट्रार अपने विवेक से प्रस्तावित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आक्षेप, यदि कोई हो, को आमंत्रित करते हुए, सार्वजनिक सूचना या ऐसे व्यक्तियों जिन्हें वह उपयुक्त समझे, को सूचना जारी कर सकेगा और सभी ऐसे आक्षेपों पर विचार कर सकेगा, जिन्हें वह सोसाइटी को रजिस्ट्रीकृत करने से पूर्व प्राप्त करे।"

धारा 3-क का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3-क में,—

(एक) उपधारा (3) में, खण्ड (क), (ख) और (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिये जायंगे, अर्थात् :—

"(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के समान फीस या, दो सौ रुपये जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन-पत्र उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है :

परन्तु राज्य सरकार, समय-समय पर सरकारी गजट में अधिसूचना द्वारा, इस खण्ड के अधीन संदेय फीस को इस शर्त के अध्यधीन रहते हुए बढ़ा सकेगी कि इस प्रकार से बढ़ाई गई फीस, धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो;

(ख) चालीस रुपये की अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो खण्ड (क) के अधीन संदेय फीस के एक बटा पांच से अधिक न हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के अन्तर्गत दाखिल किया जाता है; और

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रुपये के दर पर अतिरिक्त फीस या ऐसी उच्चतर अतिरिक्त फीस प्रत्येक मास के लिए, जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो और जिसे राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाय, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाता है।"

(दो) उपधारा (5) में, परन्तुक में शब्द "दो सौ रुपये की फीस" के स्थान पर शब्द "चार सौ रुपये की फीस या ऐसी उच्चतर फीस, जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के दस गुना से अनधिक हो और जिसे, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाय," रख दिये जायंगे।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1999

4—(1) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

उद्देश्य और कारण

राज्य के वित्तीय संसाधनों के संवर्धन की दृष्टि से यह विनिश्चय किया गया कि किसी सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण या उसके रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीनीकरण के लिए देय फीस में वृद्धि करने और राज्य सरकार को अधिसूचना द्वारा समय-समय पर ऐसे फीस में वृद्धि करने के लिए सशक्त करने के लिए उत्तर प्रदेश में उसकी प्रवृत्ति के संबंध में सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 को संशोधित किया गया।

चूंकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा 25 नवम्बर, 1999 को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अध्यादेश, 1999 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 23 सन् 1999) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए पुरःस्थापित किया जाता है।

हरीशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी",
मंत्री,
वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 द्वारा संशोधित की जाने वाली मूल अधिनियम की संगत धाराओं का उद्धरण।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860

धारा 3—(1) ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की ओर से सोसाइटी के सचिव द्वारा सोसाइटी के कार्यालय के पते से, जो उसका रजिस्ट्रीकृत पता होगा, ब्योरे सहित ऐसा ज्ञापन और प्रमाणित प्रति के दाखिल किये जाने पर रजिस्ट्रार अपने हस्ताक्षर से यह प्रमाणित करेगा कि उस सोसाइटी की इस अधिनियम के अधीन रजिस्ट्री की जाती है। रजिस्ट्रार को ऐसे प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण के लिये पांच सौ रुपये की फीस या ऐसी कम फीस जिसे राज्य सरकार सोसाइटियों के किसी वर्ग के सम्बन्ध में अधिसूचित करें संदत्त की जायगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, प्रस्थापित रजिस्ट्रीकरण के विरुद्ध आपत्तियां, यदि कोई हों, आमंत्रित करने के लिये, स्व-विवेकानुसार लोक सूचना अथवा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह उचित समझे, सूचना जारी कर सकेगा और सोसाइटी की रजिस्ट्री करने के पूर्व अपने द्वारा प्रदत्त समस्त आपत्तियों पर विचार कर सकेगा।

**　　　　**　　　　**

धारा 3-क (1) उपधारा (2) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुये, धारा 3 के अधीन दिया गया रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र, दिये जाने के दिनांक से दो वर्षों की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) अधिनियम, 1984 (जिसे आगे इस धारा में उक्त अधिनियम कहा गया है) के प्रारम्भ होने के पूर्व जारी किया गया कोई प्रमाण-पत्र उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस तथा पूर्वतन संदत्त फीस के अन्तर के संदाय पर ऐसे प्रारम्भ होने के दिनांक से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त बना रहेगा।

(2) धारा 3 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सोसाइटी, चाहे वह अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व अथवा पश्चात् रजिस्ट्रीकृत हुई हो, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने के एक मास के भीतर रजिस्ट्रार को आवेदन देने तथा उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट फीस का संदाय करने पर अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को एक बार में पांच वर्षों के लिए नवीकृत कराने की हकदार होगी :

परन्तु उक्त अधिनियम के प्रारम्भ होने के पूर्व रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी की दशा में रजिस्ट्रार रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र का नवीकरण करने से इन्कार कर देगा। यदि इस प्रकार इन्कार करने के विरुद्ध कारण बताने का अवसर दिये जाने के पश्चात् उसका यह समाधान हो जाये कि धारा 3 की उपधारा (2) उल्लिखित कारणों में से कोई भी कारण उसके सम्बन्ध में विद्यमान है।

(3) रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिये प्रत्येक आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को निम्नलिखित संदत्त किया जायगा—

(क) धारा 3 के अधीन संदेय रजिस्ट्रीकरण या फीस के बराबर या एक सौ रुपये की फीस जो भी कम हो, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर दाखिल किया जाय;

(ख) बीस रुपये की अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के दिनांक से एक मास के भीतर दाखिल किया जाय;

(ग) प्रत्येक मास या उसके भाग के लिये दस रुपये की दर से अतिरिक्त फीस, यदि ऐसा आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से एक मास के पश्चात् दाखिल किया जाय।

**　　　　**　　　　**

(5) कोई सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण का प्रमाण-पत्र ऐसी अवधि की, जिसके लिए वह प्रवृत्त था, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर इस धारा के अनुसार नवीकृत नहीं कराती, एक अरजिस्ट्रीकृत सोसाइटी हो जायेगी :

परन्तु रजिस्ट्रार, पर्याप्त कारण से, उस अवधि को जिसके लिये प्रमाण-पत्र प्रवृत्त था, समाप्ति के एक वर्ष से अधिक व्यतीत हो जाने पर भी नवीकरण के लिए आवेदन दो सौ रुपये की फीस के संदाय पर मंजूर कर सकेगा।

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 237 सा० विधा०—4-1-2000—(1756)—2000—300+8 (मेक०)

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 में किये जाने वाले ऐसे उपबन्धों का ज्ञापन-पत्र जिनमें विधायन अधिकारों के प्रतिनिधान अन्तर्ग्रस्त हैं।

सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 2000 के,—

(क) खण्ड 2 के उपखण्ड (ख) द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले मूल अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के प्रथम परन्तुक में राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस को बढ़ाने की शक्ति दी जा रही है;

(ख) खण्ड 3 के उपखण्ड (एक) द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने वाले मूल अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (3) के,—

(एक) खण्ड (क) के परन्तुक में राज्य सरकार को, अधिसूचना द्वारा, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए फीस को इस शर्त के अधीन बढ़ाने की शक्ति दी जा रही है कि इस प्रकार बढ़ाई गई फीस रजिस्ट्रीकरण फीस से अधिक न हो;

(दो) खण्ड (ख) में राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के भीतर दिये जाने की दशा में, चालीस रुपये से उच्चतर ऐसी अतिरिक्त फीस अधिसूचित करने की शक्ति दी जा रही है जो संदेय रजिस्ट्रीकरण फीस के एक बटा पांच से अधिक न हो;

(तीन) खण्ड (ग) में राज्य सरकार को, रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के एक मास के पश्चात् दिये जाने की दशा में प्रत्येक मास या उसके भाग के लिए बीस रुपये से उच्चतर ऐसी अतिरिक्त फीस अधिसूचित करने की शक्ति दी जा रही है जो खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस के आधे से अनधिक हो;

(ग) खण्ड 3 के उपखण्ड (दो) द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 3-क की उपधारा (5) में राज्य सरकार को, ऐसी सोसाइटी जो अपने रजिस्ट्रीकरण के प्रमाण-पत्र को ऐसी अवधि की, जिसके लिए वह प्रवृत्त था, समाप्ति के एक वर्ष के भीतर नवीकृत न कराने के कारण अरजिस्ट्रीकृत हो गई हो, के सम्बन्ध में चार सौ रुपये से उच्चतर ऐसी अतिरिक्त फीस अधिसूचित करने की शक्ति दी जा रही है जो उपधारा (3) के खण्ड (ख) के अधीन संदेय अतिरिक्त फीस से अनधिक हो और जिसके संदाय पर रजिस्ट्रार द्वारा उक्त सोसाइटी के नवीकरण के लिए आवेदन-पत्र मंजूर कर सकेगा।

हरीशचन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी",
मंत्री, वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(73)

32

उत्तरांचल शासन
वित्त संसाधन अनुभाग
सं0: 35 /वि॰ स॰ अनु॰/2000॰
देहरादून: : दिनांक: दिसम्बर 20 ,2000॰

कार्यालय ज्ञाप

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि , स्थाई व्यवस्था होने तक के0सी0मिश्र,अपर सचिव वित्त रजिस्ट्रार,फर्म्स-सोसाइटीज एवं चिट्स रांचल,अपर निदेशक अल्प बचत निदेशालय,प्रभारी आडिट प्रकोष्ठ एवं न पर्ची प्रकोष्ठ के रूप में भी कार्य करेंगे । इस अतिरिक्त कार्य के लिए ई कोई अतिरिक्त वेतन,भत्ते आदि देय नहीं होंगे ।

§ इन्दु कुमार पाण्डे §
सचिव वित्त,उत्तरांचल शासन ।

: :35-1 /वि॰ स॰ अनु॰/2000 तद्दिनांक:
तिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.-
प्रेषित:-

- समस्त सचिव,उत्तरांचल शासन ।
- समस्त विभागाध्यक्ष एवं मुख्य कार्यालयाध्यक्ष,उत्तरांचल ।
- प्रधान लेखकार,उत्तरप्रदेश इलाहाबाद ।
- महालेखाकार§उत्तरांचल प्रकोष्ठ§लेखा एवं हकदारी इलाहाबाद ।
- समस्त जिलाधिकारी,उत्तरांचल ।
- निदेशक कोषागार उ0प्र0 कैम्प कार्यालय,वेतन पर्ची प्रकोष्ठ नवीन कोषागार भवन,कचहरी रोड़ इलाहाबाद ।
- समस्त वित्तीय परामर्शदाता जिला पंचायतें उत्तरांचल ।
- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी उत्तरांचल ।
-)-समस्त सहायक निदेशक स्थानीय निधि लेखा,उत्तरांचल ।
- 1-निदेशक कोषागार एवं वित्तीय सेवायें,उत्तरांचल देहरादून ।
- -श्री के0सी0मिश्र,अपर सचिव वित्त,उत्तरांचल शासन ।
- -अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु ।

आज्ञा से
§के0सी0मिश्र§
विशेष सचिव वित्त,उत्तरांचल ।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(74)

उत्तर प्रदेश शासन
वित्त (लेखा-परीक्षा) अनुभाग
संख्या-आडिट-3217(1)/दस-2000-607(4)/77
लखनऊ:: दिनांक:: 23 अक्टूबर, 2000

33

xx प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाईटीज़ एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) समस्त उपनिबन्धक/सहायक निबंधक फर्म्स, सोसाइटीज़ एवं चिट्स द्वारा रजिस्ट्रार, फर्म्स सोसाईटीज़ एवं चिट्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(3) सचिव, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग।

(4) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, युवा कल्याण एवं खेलकूद विभाग।

(5) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग।

(6) सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, ग्राम्य विकास विभाग।

(7) अधिसूचनाओं के अंग्रेजी अनुवादों सहित संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि इन अधिसूचनाओं को दिनांक 23.10.2000 के असाधारण गजट में प्रकाशित करने तथा इसकी 25-25 प्रतियाँ वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग उत्तर प्रदेश सचिवालय को प्रेषित करने का कष्ट करें।

(मधु माथुर)
अनु सचिव।

---

xx अधिसूचना संख्या-आडिट-3217/दस-2000-607(4)/77, दिनांक 23.10.2000 तथा अधिसूचना संख्या-आडिट-3217(1)/दस-2000-607(4)/77, दिनांक 23.10.2000 के अंग्रेजी प्रति सहित।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(75)

[illegible] अनुभाग

संख्या-आडिट-3217/दस-2000-607(4)/77

लखनऊ :: दिनांक 23 अक्टूबर, 2000

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश में यथा प्रवृत्त सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (अधिनियम संख्या-21, सन् 1860) की धारा-3 की उपधारा-(1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल अधिसूचित करते हैं कि राज्य के सामुदायिक विकास खण्ड में कार्यरत महिला मंगल दल और "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" के अधीन सामुदायिक विकास समिति के सम्बन्ध में इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक रजिस्ट्रीकरण या उसके नवीनीकरण के लिये रजिस्ट्रार को देय रजिस्ट्रीकरण फीस पांच रुपये होगी।

आज्ञा से,

(सुशील चन्द्र त्रिपाठी)
प्रमुख सचिव।

UTTAR PRADESH SHASAN

Vitta (Lekha Pariksha) Anubhag

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification/Miscellaneous No. Audit-3217/X-2000-607(4)/77, dated October 23, 2000 for general information.

NOTIFICATION

No. Audit- 3217/X-2000-607(4)/77

Dated: Lucknow, October 23, 2000

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 3 of the Societies Registration Act, 1860 (Act no. 21 of 1860) as applicable to Utter Pradesh the Governor is pleased to notify that in respect of the Mahila Mangal Dal working in the Samudayik Vikas Khand of the State and the Samudayik Vikas Samiti under the " SWARNA JAYANTI SHAHRI ROJGAR YOJNA " the registration fee payable to the Registrar shall be five rupees for every registration or renewal thereof under the said Act.

By Order,

(SUSHEEL CHANDRA TRIPATHI)

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(76)

संख्या-वे०आ०—2-560/दस-45 (एम)-99

34

प्रेषक,

श्री वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(2) समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

लखनऊ: दिनांक 2 दिसम्बर, 2000

विषय:—वेतन समिति (1997-99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिए समयमान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए, जिनके पद के वेतनमान का अधिकतम रु० 10500 तक है, समयमान वेतनमान की निम्न व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :—

प्रथम वेतनवृद्धि

1—(1) उपर्युक्त श्रेणी के अधिकारी/कर्मचारी, जो एक पद पर 8 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद की तिथि को पूर्ण करते हैं, उन्हें समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड का लाभ अनुमन्य कराने हेतु पद के पुनरीक्षित वेतनमान में ही उस तिथि को एक वेतन वृद्धि स्वीकृत की जाय।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(2) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्होंने सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की तिथि से 6 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा सहित कुल 14 वर्ष की अनवरत सन्तोषजनक सेवा पूर्ण कर ली हो और सम्बन्धित पद पर नियमित हो चुके हों, को प्रोन्नति का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य किया जाय। ऐसे संवर्ग/पद जिनके लिए प्रोन्नति का कोई पद नहीं है, उनको उस वेतनमान से अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान देने के लिये सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के अन्तर्गत देय एक वेतनवृद्धि की तिथि से 6 वर्ष की संतोषजनक सेवा अनिवार्य है, किन्तु यदि किसी कर्मचारी को सेलेक्शन ग्रेड का लाभ पूर्व में 10 वर्ष की सेवा के आधार पर मिला हो तो उक्त प्रयोजनार्थ सेलेक्शन ग्रेड के लाभ की अवधि का प्रतिबन्ध 4 वर्ष रखा जायेगा। उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/ अगले वेतनमान को अनुमन्यता हेतु अधिकारी/कर्मचारी का सम्बन्धित पद पर नियमित होना आवश्यक है। अन्य शर्तों की पूर्ति पर भी सम्बन्धित पद पर नियमित न होने की दशा में पदधारक को यह लाभ उस तिथि से ही अनुमन्य होगा, जिस तिथि से सम्बन्धित पद पर वह नियमित किया जायेगा।

प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में वेतनवृद्धि

(3) उपर्युक्त श्रेणी के ऐसे अधिकारी/कर्मचारी, जो उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अनुसार वैयक्तिक रूप से अनुमन्य प्रथम प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में 5 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा सहित कुल 19 वर्ष की सेवा पूर्ण कर लेते हैं, उन्हें ऐसे प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उक्त सेवा अवधि पूर्ण कर लेने पर एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होगा। किन्तु यदि किसी नियमित पदधारक को पूर्व व्यवस्था के अन्तर्गत 16 वर्ष की सेवा के आधार पर वैयक्तिक रूप से प्रोन्नतीय वेतनमान/ अगला वेतनमान पहले मिल चुका हो, तो उसे उपर्युक्त वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होने की तिथि से 4 वर्ष की निरन्तर संतोषजनक सेवा के उपरान्त ऐसे वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में एक वेतनवृद्धि अनुमन्य होगी।

द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान

(4) प्रत्येक नियमित कर्मचारी को वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में उपर्युक्त प्रस्तर-1(3) के अनुसार एक वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने की तिथि से 5 वर्ष की अनवरत संतोषजनक सेवा सहित न्यूनतम 24 वर्ष की सेवा पर वैयक्तिक रूप से द्वितीय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य होगा। ऐसे कर्मचारी जिनके संवर्ग में प्रोन्नति का पद उपलब्ध नहीं है, उनको उस वेतनमान का अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से देय होगा।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(77)

वेतन निर्धारण/ पुनर्निर्धारण

2—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में उपर्युक्त प्रस्तर (1) तथा 1(3) के अन्तर्गत वेतनवृद्धि स्वीकृत होने के फलस्वरूप सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी वेतन अनुमन्यता की तिथि को उसी वेतनमान में अगले प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(2) उपर्युक्तानुसार प्रथम तथा द्वितीय वेतनवृद्धि का लाभ अनुमन्य होने के फलस्व[illegible] सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी की वेतनवृद्धि की तिथि में कोई परिवर्तन नहीं होगा अर्थात् वेतनवृ[illegible] की तिथि वही रहेगी जो उपर्युक्त लाभ न पाने की दशा में होती।

(3) ऐसे मामलों में जहां समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप एक वेतनवृद्धि का लाभ संवर्ग में किसी वरिष्ठ कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 के पूर्व तथा कनि[illegible] कर्मचारी को दिनांक 1-1-1996 अथवा उसके बाद अनुमन्य होने के फलस्वरूप वरिष्ठ कर्मचारी [illegible] वेतन कनिष्ठ कर्मचारी से कम हो जाय तो सम्बन्धित तिथि को वरिष्ठ कर्मचारी का वेतन कनि[illegible] कर्मचारी के बराबर निर्धारित कर दिया जाय।

(4) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत प्रथम प्रोन्नतीय/अग[illegible] वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन साधारण वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर [illegible] अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(5) उपर्युक्त प्रस्तर-1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक रूप से स्वीकृत द्वितीय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों का वेतन प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान में प्राप्त वेतन स्तर के अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित किया जायेगा।

(6) प्रथम अथवा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में यदि किसी समय बिन्दु पर किसी अधिकारी /कर्मचारी का वेतन उसे क्रमशः पद के साधारण वेतनमान अथवा प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में अनुमन्य वेतन स्तर की तुलना में कम या बराबर हो जाय तो क्रमशः प्रथम प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान अथवा दूसरे वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान, जैसी भी स्थिति हो, में उसका वेतन ऐसे वेतन स्तर के अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय। इस प्रकार वेतन पुनर्निर्धारण के फलस्वरूप प्रथम तथा द्वितीय वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में अगली वेतनवृद्धि, वेतन पुनर्निर्धारण की तिथि से 12 माह की अर्हकारी सेवा के उपरान्त देय होगी।

(7) यदि किसी पदधारक को समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगला वेतनमान दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि तक अनुमन्य हो रहा हो, तो उस दशा में पुनरीक्षित वेतनमान में उसका वेतन, पद के साधारण पुनरीक्षित वेतनमान तथा पदधारक को अनुमन्य पुनरीक्षित वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में अलग-अलग, निर्धारित किया जायेगा। इस प्रकार वेतन निर्धारित करने पर यदि किसी पदधारक का वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में निर्धारित वेतन उसके पद के साधारण वेतनमान में निर्धारित वेतन के बराबर अथवा उससे कम हो तो वैयक्तिक प्रोन्नतीय /अगले वेतनमान में उसका वेतन अगले प्रक्रम पर पुनर्निर्धारित कर दिया जाय।

(8) यदि कोई पदधारक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण की तिथि (दिनांक 1-1-1996 अथवा अनुवर्ती विकल्प की तिथि) से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ के लिये अर्ह होता है, तो उसे यह लाभ वर्तमान वेतनमान अथवा पुनरीक्षित वेतनमान में प्राप्त करने का विकल्प रहेगा।

(9) ऐसे मामलों में जहां किसी कर्मचारी /अधिकारी की पदोन्नति उसी वेतनमान में होती है, जो उसे दिनांक 1-1-1996 या उसके बाद से समयमान वेतनमान के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में मिल रहा था, तो ऐसे पद पर उसका वेतन वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-2 से 4 के मूल नियम-22-ए(1) में निहित प्रक्रियानुसार अगले उच्च प्रक्रम पर निर्धारित होगा और इसमें मूल नियम 22-बी के प्राविधान लागू नहीं होंगे। शासनादेश संख्या-प० मा० नि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के प्रस्तर-8(1) तथा प्रस्तर-8(2) निरस्त समझे जायें।

वृद्धिरोध वेतनवृद्धि

3—(1) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू० 10500 तक है, जब अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच जायें, तो उनके वेतनमान को उसमें अन्तिम वेतन वृद्धि के बराबर तीन वेतन वृद्धियों की धनराशि जोड़ कर बढ़ा दिया जाये। यह वेतन वृद्धियां सम्बन्धित पदधारक को वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के पश्चात् वार्षिक आधार पर देय होगी। यह वेतनवृद्धि ऐसे पदधारकों को भी अनुमन्य होगी जिन्हें वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने तक सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य हो चुकी हो किन्तु सम्बन्धित पदधारक द्वारा पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के रूप में देय वेतनवृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

(2) ऐसे पदधारक जिनके पद के पुनरीक्षित साधारण वेतनमान का अधिकतम रू० 10500 से अधिक है, उन्हें पद के वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के उपरान्त वृद्धिरोध वेतनवृद्धि के रूप में प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वेतनवृद्धि दी जाय। ऐसी वेतन वृद्धियों की अधिकतम संख्या 3 होगी।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(3) वृद्धिरोध वेतनवृद्धि का लाभ केवल पद के साधारण वेतनमान में अनुमन्य होगा। यह लाभ वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला उच्च वेतनमान तथा सेलेक्शन ग्रेड वेतनमान में अनुमन्य नहीं होगा।

(4) इस प्रकार अनुमन्य वृद्धिरोध वेतनवृद्धि को सम्बन्धित वेतनमान का भाग माना जायेगा। तथा मूल नियमों के अन्तर्गत वेतन निर्धारण के प्रयोजनार्थ उसे वेतन का अंग माना जायेगा।

शर्तें एवं प्रतिबन्ध

4—(1) उपर्युक्त प्रस्तर-1(2) तथा 1(4) के अन्तर्गत वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान की अनुमन्यता हेतु किसी पदधारक के लिये प्रोन्नति के पद का आशय उस पद से है जिस पर सेवा नियमावली अथवा कार्यकारी आदेशों के आधार पर सम्बन्धित पदधारक द्वारा धारित पद से वरिष्ठता के आधार पर प्रोन्नति का प्राविधान हो। यदि किसी पद हेतु वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति हेतु दो या अधिक वेतनमानों में पद उपलब्ध हों तो समयमान वेतनमान के अन्तर्गत प्रथम वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान के रूप में पदोन्नति हेतु उपलब्ध निम्नतम पद का वेतनमान ही अनुमन्य होगा। किसी अधिकारी/कर्मचारी को वैयक्तिक रूप से अगला वेतनमान स्वीकृत होने की दशा में उसे, वह वेतनमान अनुमन्य होगा जो शासनादेश संख्या-प० मा० नि०-357/दस-21(एम)-97, दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 के संलग्नक-ग पर उपलब्ध सूची के अनुसार अगला वेतनमान हो।

(2) किसी पदधारक के उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में निम्न पद पर सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतन वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी। यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि से अनुमन्य होगा। यदि पदधारक द्वारा धारित उच्च पद का वेतनमान उसे निम्न पद पर वैयक्तिक रूप से सेवा अवधि के आधार पर देय प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान के समान या उससे उच्च है तो उच्च पद पर कार्यरत रहने की अवधि में उसे निम्न पद पर समयावधि के आधार पर वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान अनुमन्य नहीं होगा और यह लाभ उसे निम्न पद पर प्रत्यावर्तन की तिथि को देय होगा।

(3) संतोषजनक सेवा के निर्धारण के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा मार्ग-दर्शक व्यवस्था शासनादेश संख्या 761/कार्मिक-1-93, दिनांक 30 जून, 1993 में जारी की गयी है। अतः समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि वैयक्तिक रूप से देय प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान, सेलेक्शन ग्रेड तथा उच्च वेतनमान की अनुमन्यता हेतु संतोषजनक सेवा का निर्धारण शासनादेश दिनांक 30-6-1993 को दृष्टिगत रखते हुए किया जाये।

(4) किसी अधिकारी/कर्मचारी की वास्तविक प्रोन्नति होने की दशा में यदि वह प्रोन्नति के पद पर जाने से इंकार करता है तो उसे उस तिथि तथा उसके पश्चात् की तिथि से देय सेवा अवधि के आधार पर सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक वेतनवृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। इस सम्बन्ध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि सेलेक्शन ग्रेड/सेलेक्शन ग्रेड के लाभ के रूप में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय वेतनमान/अगला उच्च वेतनमान किसी पद/संवर्ग में प्रोन्नति के अवसर के अभाव को दृष्टिगत रखते हुए प्रदान किये गये हैं, अतः वास्तविक प्रोन्नति से इंकार करने वाले कर्मचारियों के मामले में सेवा में वृद्धिरोध नहीं माना जा सकता है।

(5) जिस कर्मचारी ने दिनांक 1-1-1996 के बाद की किसी तिथि से पुनरीक्षित वेतनमान चुना है, यदि उस कर्मचारी को सेवा अवधि के आधार पर एक वेतन वृद्धि अथवा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगल वेतनमान दिनांक 1-1-1996 तथा उसके विकल्प के आधार पर पुनरीक्षित वेतनमान में आने की तिथि के मध्य से देय है, तो यह लाभ उसे वर्तमान वेतनमान में ही देय होगा।

(6) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत अनुमन्य उपर्युक्त चार लाभों में से यदि किसी पदधारक को कोई लाभ दिनांक 1-1-1996 से पूर्व मिल चुका है तो उसे दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में वह लाभ पुनः नहीं मिलेगा। उसे तत्पश्चात् देय लाभ, यदि कोई हो, ही अनुमन्य होगा।

(7) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि तथा वैयक्तिक प्रोन्नतीय/अगले वेतनमान का लाभ देने के लिए सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी की संतोषजनक अनवरत सेवा की शर्त के परीक्षण हेतु उसकी चरित्र पंजिका देखना होगा। अतः किसी अधिकारी/कर्मचारी को यह लाभ अनुमन्य होने पर तत्सम्बन्धी आदेश जारी किये जायें। परन्तु जिनके सम्बन्ध में दिनांक 1-1-1996 के बाद आदेश जारी किये जा चुके हैं, उनके लिये पुनरीक्षित आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। प्रोन्नतीय/अगला वेतनमान वैयक्तिक रूप से अनुमन्य कराने हेतु सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के नियुक्ति अधिकारी सक्षम प्राधिकारी माने जायेंगे।

5—ऐसे पदधारक, जिनके पद का दिनांक 1-1-1996 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान रु० 8000—13500 या उससे अधिक है, के लिये समयमान वेतनमान की पूर्व व्यवस्था पुनरीक्षित वेतनमान में भी दिनांक 31 दिसम्बर, 2000 तक लागू रहेगी। दिनांक 1 जनवरी, 2001 या उसके पश्चात् उपर्युक्त वेतनमान के पदों पर समयमान [illegible]न की व्यवस्था सम्बन्धी आदेश बाद में जारी किये जायेंगे।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

6—(1) समयमान वेतनमान के अन्तर्गत देय लाभ स्वीकृत होने के फलस्वरूप अधिकारियों/कर्मचारियों को दिनांक 1-4-2000 से भुगतान नकद किया जायेगा। दिनांक 1-1-1996 से दिनांक 31-3-2000 तक की देय अवशेष धनराशि सम्बन्धित कार्मिकों के भविष्य निधि खाते में जमा की जायेगी, जो दिनांक 31-3-2002 तक निकाली नहीं जा सकेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तो उसे अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट (एन० एस० सी०) के रूप में दी जायेगी परन्तु धनराशि के जिस अंश का सर्टीफिकेट उपलब्ध न हो, वह नकद दे दी जायेगी।

(2) जिन अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवायें इस शासनादेश के जारी होने के पूर्व समाप्त हो गयी हो अथवा जो अधिकारी/कर्मचारी अधिवर्षता की आयु पर दिनांक 30 अप्रैल, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हों, उनको देय धनराशि का सम्पूर्ण भुगतान नकद किया जायेगा।

7—उक्त निर्णय के फलस्वरूप यदि कोई प्रभावित अधिकारी/कर्मचारी पुनरीक्षित वेतनमान चुनने के लिए पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करना चाहें तो उसे इस शासनादेश के जारी होने अथवा सम्बन्धित पदधारक को उपर्युक्तानुसार लाभ स्वीकृत करने सम्बन्धी कार्यकारी आदेश जारी होने की तिथि, जो भी बाद में हो, के 90 दिन के अन्दर पुनरीक्षित विकल्प प्रस्तुत करने का अधिकार होगा।

8—(1) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था शैक्षिक पदों के सम्बन्ध में लागू नहीं होगी।

(2) शासनादेश संख्या–वे०आ०नि०–356/दस–22(एम)-97, दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 का प्रस्तर–4 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

(3) इस शासनादेश में जारी व्यवस्था लागू होने के फलस्वरूप उपर्युक्त शासनादेश दिनांक 23 दिसम्बर, 1997 तथा दिनांक 31 दिसम्बर, 1997 एवं उसके साथ पठित अन्य शासनादेश इस सीमा तक संशोधित समझे जायं।

भवदीय,
वी० के० मित्तल,
प्रमुख सचिव, वित्त।

संख्या–वे०आ०–2-560/दस-45(एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) मा० राज्यपाल महोदय के प्रमुख सचिव/सचिव।
(2) रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
(3) उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) इरला चेक अनुभाग/इरला चेक (वेतन पर्ची प्रकोष्ठ)।
(5) संयुक्त निदेशक, शिविर कार्यालय, कोषागार, निदेशालय, नवीन कोषागार भवन, कचहरी रोड, इलाहाबाद।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

संख्या-वे०आ-2-560/दस-45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि महालेखाकार, प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संख्या-वे०आ-2-560/दस—45 (एम)-99, तद्दिनांक

प्रतिलिपि सचिव, विधान सभा/विधान परिषद् सचिवालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
आर० एस० सिंह,
विशेष सचिव, वित्त।

एस०यू०पी०—ए०पी० 107 सा० वि० ·-11-2000—(4590)—20,000 (कम्प्यूटर/आफसेट)।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(81)

संख्या–1014 /01 वित्त/2001

35

...कुमार पाण्डे,
...चिव,
उत्तरांचल शासन ।

...में,
1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल।
2. समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उततरांचल।

वित्त (सामान्य) अनुभाग : देहरादून : दिनांक : 12 मार्च, 2001

विषय :– पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार राज्य कर्मचारियों के लिये समय–मान वेतनमान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय, उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश की वेतन समिति (1997–99) की संस्तुतियों के कम में उत्तरोत्तर उत्तर प्रदेश द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या– वे0आ0–2–560/दस–45(एम)–99, दिनांक 02 दिसम्बर, 2000 (संलग्नक–1) के अनुरूप उत्तरांचल राज्य के कर्मचारियों को भी तद्नुसार समय–मान वेतनमान की व्यवस्था लागू करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. प्रस्तर–1 में सन्दर्भित शासनादेश के प्रस्तर–6 को इस सीमा तक संशोधित माना जाय कि जिन अधिकारियों/कर्मचारियों को समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाय, उनको नकद भुगतान दिनांक 01 अप्रैल, 2001 से किया जायेगा तथा इसके पूर्व की देय धनराशि भविष्य निधि में जमा की जायेगी। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी भविष्य निधि का सदस्य नहीं है तब अवशेष धनराशि नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट के रूप में दी जाय। जो अधिकारी/कर्मचारी दिनांक 30 जून, 2001 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उन्हें नकद में भुगतान किया जाय।

3. उत्तरांचल राज्य का गठन दिनांक 09 नवम्बर,2000 से हुआ है। अतः दिनांक 01 जनवरी, 1996 से दिनांक 08 नवम्बर,2000 की धनराशि का भुगतान मुख्य लेखा शीर्षक–8793– अन्तर्राज्यीय समायोजन उ0प्र0 पुनर्गठन के अधीन किया जाय तथा दिनांक 09 नवम्बर,2... ...भाग के सुसंगत लेखा शीर्षक के अधीन आवंटित बजट के सापेक्ष पुस्तांकित किया जाय। दिनांक 08 नवम्बर, 2000 तक के भुगतान का प्रभाजन महालेखाकार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल द्वारा जनसंख्या के आधार पर करके प्रतिपूर्ति उत्तरांचल राज्य को की जाय।

भवदीय,

संलग्नक– उपरोक्तानुसार.

इन्दु कुमार पाण्डे
सचिव

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(81)

संख्या : 1014 /01/वित्त/2001, तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2. रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय, उत्तरांचल नैनीताल।
3. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
4. सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल।
5. महालेखाकार (उत्तर प्रदेश एवं उत्तरांचल) सत्यनिष्ठा भवन, 5-ए थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
6. पुनर्गठन आयुक्त, उत्तरांचल, विकास भवन, लखनऊ।
7. रेजिडेन्ट कमिश्नर, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
8. उत्तरांचल शासन के सभी अनुभाग।
9. राज्य सेवाओं के उत्तर प्रदेश स्थित वेतन पर्ची प्रकोष्ठ।
10. समस्त कोषागार अधिकारी, उत्तरांचल।

आज्ञा से,

(के. सी. मिश्र)
अपर सचिव

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(82)

संख्या–2914/वि0सं0शा0/2001

36

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे
सचिव वित्त
उत्तरांचल शासन

सेवा में,

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
उत्तरांचल देहरादून।

वित्त अनुभाग देहरादून:दिनांक–26 मई,2001

विषय:– उत्तरांचल राज्य में रजिस्ट्रार फर्म्स ,सोसाइटीज एवं चिट्स के कार्यालय की स्थापना।

महोदय,

उत्तरांचल राज्य में रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के विधिक एवं प्रशासनिक कार्यो हेतु श्री राज्यपाल महोदय रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स के कार्यालय के स्थापना की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है तथा इस कार्यालय में रजिस्ट्रार,(वेतनमान 16400–20000) डिप्टी रजिस्ट्रार(वेतनमान रू010,000–15200) ,वैयक्तिक सहायक सह कन्सोल आपरेटर(वेतनमान रू0 5500–9000),कार्यालय सहायक सह डाटा इन्ट्री आपरेटर, खजांची सह डाटा इन्ट्री आपरेटर(वेतनमान रू0 3050–4590) तथा अनुसेवक(वेतनमान रू0 2550–3200) के एक–एक पद सृजित करने की सहमति भी प्रदान करते हैं।

2– रजिस्ट्रार के पद का कार्य सचिव वित्त द्वारा नामित उनके अधीन अपर सचिव द्वारा किया जायेगा।

3– रजिस्ट्रार को विभागाध्यक्ष के समस्त अधिकार जैसा कि वित्तीय नियमानुसार प्राप्त होंगे ।

4– डिप्टी रजिस्ट्रार का पद वित्त सेवा संवर्ग के अधिकारियों से भरा जायेगा।

5– समूह 'घ' के पदों पर नियुक्ति यथा संभव अनुबंध पर अथवा रिडिप्लायमेण्ट से की जायेगी।

उपरोक्त आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होंगे।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
सचिव वित्त

संख्या– 2914(1)/वि0सं0शा0/2001 तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– निदशक कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर उत्तरांचल देहरादून।
2– अपर सचिव वित्त(लेखा एवं लेखा परीक्षा संबंधी कार्य से सम्बद्ध)उत्तरांचल शासन।
3– इरला चेक अनुभाग सचिवालय ।
4– वरिष्ठ कोषाधिकारी देहरादून।
5– बजट एवं संसाधन अनुभाग वित्त उत्तरांचल शासन ।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(83)

संख्या–2912/वि0सं0शा0/2001

प्रेषक,

इन्दु कुमार पान्डे
सचिव,वित्त
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें
उत्तरांचल देहरादून ।

वित्त अनुभाग देहरादून:दिनांक–26 मई,2001

विषय:– उत्तरांचल वित्त सेवा का गठन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय तत्कालिक प्रभाव से उत्तरांचल वित्त सेवा का गठन करने तथा पदों के निर्धारण पर सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश के वित्त एवं लेखा सेवा के उत्तरांचल राज्य में समाहित अधिकारियों को पूर्व की वरिष्ठता सूची के कम में पात्रता एवं उपयुक्तता के आधार पर रखा जायेगा। उत्तरांचल वित्त सेवा के विभिन्न वेतन मानों के पदों की संख्या निम्न प्रकार निर्धारित किया जाता है:–

कमांक	वेतनमान	संवर्गीय पद	नियमावली के अनुसार अधिकतम् 50प्रतिशत प्रतिनियुक्ति	योग
1–	अतिकाल वेतन रु018400–22400	2	1	3
2–	उच्च वेतनमान रू016400–20000	8	4	12
3–	विशेष वेतनमान रू014300–18300	10	5	15
4–	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी । रू012000–16500	16	8	24
5–	ज्येष्ठ वेतनमान श्रेणी।। रू010000–15200	20	10	30
6–	साधारण वेतनमान 8000–13500	30	15	45
	योग	86	43	129

2– उक्त पदों के सापेक्ष संवर्गीय पदों की सूची संलग्नक "क" पर उपलब्ध है जब कि नि:संवर्गी/प्रतिनियुक्ति के पदों का विवरण सलग्नक "ख" पर उपलब्ध है जिसे शासन द्वारा यथा आवश्यक परिवर्तित किया जा सकेगा किन्तु नि:संवर्ग /प्रतिनियुक्ति के पदों की संख्या किसी भी दशा में संवर्ग के पदों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक न होगी ।

3– सलग्नक में उल्लिखित पदनामों तथा विभाग/संस्था के पदनामों में भिन्नता होने पर विभाग/संख्या का पदनाम ही मान्य होगा।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(84)

4— उत्तरांचल वित्त सेवा के अधिकारियों की तैनाती चिन्हित पदों पर अधिकारियों के उपलब्धता के आधार पर की जायेगी तथा संगठन द्वारा कार्यभार ग्रहण कराना बाध्यकारी होगा ।

5— उत्तरांचल वित्त सेवा के उपरोक्त पदों के निर्धारण के बाद उक्त सीमा तक पूर्व के सभी आदेश संशोधित समझे जायेंगे ।

भवदीय,

इन्दु कुमार पान्डे
सचिव वित्त

संख्या— 2912(1)/वि0सं0शा0/2001तद्‌दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव उत्तरांचल शासन ।
2— समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तरांचल ।
3— कुलपति समस्त विश्वविद्यालय उत्तरांचल ।
4— समस्त जिलाधिकारी उत्तरांचल।
5— समस्त कोषागार अधिकारी उत्तरांचल ।

आज्ञा से,

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(85)

शासनादेशसंख्या2912/वि0सं0शा0/2001,दिनांक–26–5–2001कासंलग्नक–"क"

<u>उत्तरांचल वित्त सेवा क वेतनमानवार संवर्गीय पद</u>

1–वेतनमान रू0 18400–22400 (कुल दो पद)
क– निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें सह स्टेट इन्टरनल आडिटर –एक पद
ख– निदेशक लेखा एव हकदारी –एक पद
2–वेतनमान रू016400–20000 (कुल 8 पद)
क–अपर निदेशक कोषागार एवं वित्त सेवायें निदेशालय –2 पद
ख–अपर निदेशक लेखा एवं हकदारी निदेशालय –2 पद
ग–अपर सचिव वित्त –1 पद
घ–वित्त नियंत्रक स्तर–।(लो0नि0वि0,वन,तथा चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) –3 पद
3–वेतनमान रू0 14300–18300 (कुल 10 पद)
क–संयुक्त सचिव–श्री राज्यपाल,विधान सभा,इरलाचक –3 पद
ख–विभागीय वित्त नियंत्रकः–शिक्षा,कृषि,खाद्य,पुलिस,सिंचाई,ग्राम्य विकास,आयुक्त कर, कार्यालय –7 पद
4–वेतनमान रू0 12000–16500 (कुल 16 पद)
क–संयुक्त निदेशक (दो कोषागार निदेशालय तथा दो लेखा एवं हकदारी निदेशालय) –4 पद
ख–मुख्य कोषाधिकारी (पौड़ी,देहरादून एवं नैनीताल) –3 पद
ग–बजट अधिकारी वित्त विभाग –1 पद
घ–मुख्य वित्त अधिकारी–सहकारिता,पर्यटन,ग्रामीण अभियंत्रण एवं लघु सिंचाई,जलागम निदेशालय,एकेडेमी आफ एडमिनिस्ट्रेशन नैनीताल,अबकारी एवं राजस्व,श्रम एवं सेवायोजन कुल –8 पद
5–वेतनमान 10000–15500 (कुल 20 पद)
क–वरिष्ठ कोषाधिकारी –10 पद
ख–उप निबन्धक सोसायटीज/चिट्स –2 पद
ग–सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी –2 पद
घ–उप निदेशक (कोषागार एवं वित्त सेवायें तथा लेखा एवं हकदारी निदेशालय) वरिष्ठ वित्त अधिकारी पशुपालन –6 पद
6–वेतमान रू0 8000–13500 (कुल 30 पद)
क–कोषाधिकारी –7 पद
ख–जिलास्तरीय वित्त अधिकारी शिक्षा विभाग –13 पद
ग–वित्त अधिकारी– शासकीय मुद्रणालय,स्टाम्प एवं पंजीकरण,अल्प बचत,समाज कल्याण,सैनिक कल्याण,जेल विभाग, प्रशिक्षण संस्थान सिंचाई,सहायक निबन्धक,भुगतान एवं लेखा कार्यालय–नई दिल्ली,एन0सी0सी0एवं युवा कल्याण –10 पद

योग– 86 पद

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

शासनादेशसं0–2912 / वि0सं0शा0 / 2001, दिनांक–26–5–2001का संलग्नक"ख"

उत्तर प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा के निःसंवर्गीय / प्रतिनियुक्ति के आवश्यकता तथा उपयोगिता के अधार पर अनन्तिम पदों का विवरण

1–अपर सचिव / संयुक्त सचिव	(विशिष्ठ संवर्गीय पदों से भिन्न)
2–पंतनगर विश्वविद्यालय	(अतिकाल वेतनमान के समतुल्य)
3–रूड़की विश्वविद्यालय	(जब तक राज्य सरकार के अधीन है)
4–श्रीनगर(गढ़वाल)विश्वविद्यालय	(वित्त नियंत्रक स्तर)
5–कुमायूँ विश्वविद्यालय	(वित्त नियंत्रक स्तर)
6–जल निगम (गढ़वाल एवं कुमायूँ)	(वित्त नियंत्रक स्तर)
7–जल संस्थान " " "	(मुख्य वित्त अधिकारी स्तर)
8–विकास प्राधिकरण (देहरादून,हरिद्वार तथा नैनीताल)	(मुख्य वित्त अधिकारी स्तर)
9–मण्डलीय विकास निगम(गढ़वाल एवं कुमायूँ)	(वरिष्ठ वित्त अधिकारी स्तर)
10–तराई विकास निगम	(वित्त अधिकारी स्तर)
11–बाह्य सहायतित परियोजनायें (स्वास्थ्य,वन,जलापूर्ति कृषि आदि	(अपने वेतनमान / मांग के अनुसार)
12–नगर निगम	(वरिष्ठ वित्त अधिकारी स्तर)
13–जिला ग्राम्य विकास अभिकरण	(वरिष्ठ / साधारण वेतनमान स्तर)
14–परिषदें एवं अन्य स्वायत्तशासी संस्थायें	(मांग / उपलब्धता के आधार पर)

(के0सी0मिश्र)
अपर सचिव वित्त

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

संख्या:,629/xxvii/वि.स.प्र.../

प्रेषक,

के. सी. मिश्र,
अपर सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तरांचल शासन म

सेवा में,

(1) समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल।

(2) रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज तथा चिट्स,
उत्तरांचल।

वित्त विभाग:

देहरादून, दिनांक: 26 जुलाई, 2

विषय: सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत (गांधी) एवं संघ शब्द के प्रयोग हेतु शासन की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में नीति निर्धारण।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम की धारा 3(2)(ख) के अन्तर्गत कतिपय अन्य शब्दों के अतिरिक्त (गांधी)(संघ) या (यूनियन) का प्रयोग प्रतिबन्धित है, आपवादिक परिस्थितियों में उक्त शब्दों के प्रयोग की अनुमति प्रदान करने के लिये शासन को कथित अधिनियम की धारा 3 की उपधारा 2 के परन्तुक में शक्ति प्रदान की गई है।

(2) नये पंजीकरण हेतु आवेदन पत्र जिसमें (गांधी)(संघ) या "यूनियन" शब्द के प्रयोग की अनुमति अपेक्षित हो, संस्थाओं द्वारा सीधे राज्य सरकार को सम्बोधित किया जायेगा और सम्बद्ध जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा और सम्बन्धित जिलाधिकारी निम्नलिखित बिन्दुओं पर अपनी आख्या एवं संस्तुति सहित आवेदन पत्रों को सम्बन्धित रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स को अग्रसारित करेगा।

(क) संस्था के नाम के साथ प्रयुक्त शब्द (गांधी)(संघ) या "यूनियन" के प्रयोग की सार्थकता एवं उसकी उपयोगिता का औचित्य।

(ख) उन आपवादिक परिस्थितियों का उल्लेख जिसके आधार पर शासन द्वारा संस्था के नाम के साथ "गांधी", "संघ" या "यूनियन" के प्रयोग की अनुमति दी जा सकती है।

(3) जिलाधिकारी से प्राप्त ऐसे आवेदन पत्रों को रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स' सोसाइटीज एवं चिट्स अपनी टिप्पणी सहित शासन को अग्रसारित करते हुये सहायक रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार अपने टिप्पणी में आपवादिक परिस्थितियों का स्पष्ट उल्लेख करेगें।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

§4§ रजिस्ट्रार / सहायक रजिस्ट्रार ऐसे आवेदन पत्रों को जो उन्हें सीधे भेजे गये हैं, सम्बन्धित जिलाधिकारी को भेजकर उपरोक्तानुसार उनकी संस्तुति प्राप्त करेगें और उपर्युक्त निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उस पर कार्यवाही करेगें ।

§5§ सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के अन्तर्गत पूर्व की ऐसी रजिस्टर्ड संस्थायें जिनके नाम के साथ "गांधी", "संघ" या "यूनियन" शब्द प्रयुक्त हो, यदि अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत प्रमाण पत्र के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र देती हैं तो तो ऐसे आवेदन पत्र , जिलाधिकारी को न भेजकर सीधे सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार/रजिस्ट्रार को प्रेषित किये जायेगें । सम्बन्धित सहायक रजिस्ट्रार/ रजिस्ट्रार उन आवेदन पत्रों पर "गांधी", "संघ" या "यूनियन" शब्द का संस्था के नाम के साथ प्रयोग आपवादिक परिस्थितियों में तथा अन्य किसी प्रकार की शिकायत व विवाद न होने का उल्लेख अपनी टिप्पणी में करते हुये शासन को प्रेषित करेगें और शासन द्वारा उनकी संस्तुति पर विचारोपरान्त अनुमति दी जायेगी ।

§6§ जहाँ तक नई संस्थाओं के नाम के साथ "गांधी", "संघ" या "यूनियन" शब्द के प्रयोग हेतु आपवादिक परिस्थिति मांगे जाने का प्रश्न है, उसके अन्तर्गत मुख्य रूप से यह देखा जाता है कि "गांधी", "संघ" या "यूनियन" शब्द के प्रयोग की अनुमति न देने से कोई अनुचित असुविधा तो संस्थाओं को तो न होगा और उक्त शब्द राष्ट्र पिता महात्मा गांधी या भारतीय संघ का बोध तो नहीं करते हैं । यह भी देखना होगा कि इन शब्दों के दुरूपयोग की सम्भावना तो नहीं है एवं संस्था के उद्देश्य राजनैतिक तो नहीं है और संस्था क्या राष्ट्र पिता महात्मा गांधी के सिद्धान्तों पर ही आधारित है ।

भवदीय

§ के. सी. मिश्र §
अपर सचिव, वित्त
उत्तरांचल शासन

लोक सूचना अधिकारी
क्षे०न०प कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(89)

संख्या 596 /एक–4–2002

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तरांचल ।

समान्य प्रशासन विभाग देहरादून दिनांक 27 जुलाई, 2002

विषय– गण्यमान्य व्यक्तियों की मृत्यु पर छुट्टी, राजकीय शोक, राजकीय शव यात्रा तथा झण्डा झुकाने आदि के सम्बन्ध में निर्देश ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत के मा0 उपराष्ट्रपति श्री कृष्ण कान्त जी का दिनांक 27.7.2002 को अकस्मात निधन हो गया है । इस घटना के दृष्टिगत राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है कि दिनांक 27.7.2002 को पूरे प्रदेश में राज्य सरकार के समस्त कार्यालय बन्द रहेगे तथा सरकारी भवनो पर राष्ट्रध्वज झुकाए जायेगे ।

राजकीय शोक के सम्बन्ध में भारत सरकार के आदेशानुसार पृथक से निर्देश जारी किये जायेगे ।

भवदीय,

(पी0सी0 शर्मा) 27/7
सचिव,

संख्या596 (1) /एक–4–2002, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल ।
2– निबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल ।
3– राज्यपाल के सचिव, उत्तरांचल ।
4– सचिव, विधान सभा, उत्तरांचल ।
5– समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल ।
6– अपर सचिव, गोपन, उत्तरांचल ।
7– स्टाफ आफिसर मुख्य सचिव ।
8– समस्त राज्यों के मुख्य सचिवों को सूचनार्थ प्रेषित ।
9– सचिव, भारत सरकार, गृह मंत्रालय को भी सूचनार्थ प्रेषित ।

आज्ञा से,

(पी0सी0 शर्मा) 27/7
सचिव,

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(10)

39

निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल
अल्मोड़ा।

3710 05/02/03

Distt. A.R.C.S. D.Dun 31/1/2003

समस्त जिलाधिकारी
उत्तरांचल।

/ मार्केटिंग-क्रय/ 2002-03 दिनांक जनवरी २९, 2003

सरकारी कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त निकायों द्वारा लेखन सामग्री एवं अन्य वस्तुओं को स्थानीय सहकारियों से सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषय के सन्दर्भ में उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 2715/ 3-93-10/ 92-93 दिनांक 19-7-93 (छाया प्रति संलग्न) के क्रम में आपके द्वारा अपने जनपद के अधीनस्थ कार्यालयों में लेखन सामग्री, ...रो तथा कार्यालयों के उपयोगार्थ अन्य सामग्री को जिला मुख्यालय पर केन्द्रीय सहकारी उपभोक्ता भण्डार, जिला सहकारी संघों अथवा ...क्रय सहकारी समितियों से क्रय करने हेतु अधीनस्थ कार्यालयाध्यक्षों / ...गाध्यक्षों को निर्देशित किया जाता रहा है। किन्तु उत्तरांचल राज्य अस्तित्व में आने के पश्चात कार्यालयाध्यक्ष/ विभागाध्यक्ष एवं सहायता ...निकाय कार्यालयों द्वारा बाजार से स्टेशनरी आदि वस्तुओं का क्रय किये ...के फलस्वरूप इन संस्थाओं की वित्तीय स्थिति बहुत ही खराब हो गई

अतः अनुरोध करना है कि राज्य में उक्त सहकारी संस्थाओं को ...ीकरण करने के उद्देश्य से अधीनस्थ सरकारी कार्यालयों एवं सहायता प्राप्त ...कायों के कार्यालयों के उपयोगार्थ लेखन सामग्री, स्टेशनरी व अन्य को उक्त ...कारी संस्थाओं से क्रय करने हेतु जनपद के समस्त कार्यालयाध्यक्षों / विभागाध्यक्षों को अपने स्तर से निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्न - यथोपरि

भवदीय
ह0/-
(अनिल कुमार शर्मा)
निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल

पृ0सं0 ५२९०-९१ / दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि जिला सहायक निबन्धक सहकारी समितियाँ, उत्तरांचल को इस देहरादून निर्देश के साथ कि जनपद की उक्त सहकारी संस्थाओं से समया-अन्तर्गत आपूर्ति सुनिश्चित कराने की व्यवस्था स्वयं सुनिश्चित करें।

निबन्धक
सहकारी समितियाँ, उत्त
अल्मोड़ा

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसा... एवं चिट्स
दे...दून

(01)

प्रेषक, संख्या: 829 /वित्त अनु0 4 /2003

40

इन्दु कुमार पाण्डे,
प्रमुख सचिव (वित्त),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–4

देहरादून :: दिनांक: 28 मार्च, 2003

विषय:–सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम– 1860 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 51 / फ0स0चि0 / 2002, दिनांक 23 सितम्बर, 2002 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम –1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के विभिन्न निम्नवत संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(धनराशि रु0 में)

क– पंजीकरण (1)	प्रमावी दरें (2)
1–सोसाइटी पंजीकरण	1500
2–सोसाइटी पंजीकरण युवक/ महिला मंगलदल/ महिला समूह /सामुदायिक	30
ख– नवीनीकरण	
1–सोसाइटी नवीनीकरण	500
2– सोसाइटी नवीनीकरण युवक/ महिला मंगल दल, महिला समूह/ सामुदायिक	30
4– विलम्ब शुल्क अन्य माह में प्रतिमाह	50
5– नवीनीकरण अनुमति शुल्क	600
ग– प्रतिलिपि	
1– सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण–पत्र) सामान्य	100
2– सोसाइटी प्रतिलिपि (प्रमाण–पत्र) आवश्यक (अर्जेण्ट)	200
3– अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि सामान्य	60 (प्रति पृष्ठ)
4– अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवश्यक (अर्जेण्ट)	120 (प्रति पृष्ठ)

लोक सूचना अधिकारी
क्षत्राय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(1)	(2)
घ– निरीक्षण	
क–पत्रावली निरीक्षण	200
धारा–4(1) के प्रपत्र दाखिला शुल्क:– उक्त धारा के अन्तर्गत जो प्रपत्र रजिस्ट्रार कार्यालय को दाखिल किए जाने अनिवार्य हैं उनकी देय तिथि से एक माह के पश्चात दाखिल करने पर निम्नवत् शुल्क प्रस्तावित हैं :–	
(1) तीन माह तक	100
(2) 3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक	200
(3) 6 माह से अधिक 9 माह तक	300
(4) 9 माह से अधिक 12 माह तक	400
(5) एक वर्ष बाद वार्षिक देय शुल्क वर्ष के किसी अंश पर	500
च– संशोधन शुल्क	
1–स्मृति पत्र	500 प्रत्येक अवसर
2– नियमावली	250 प्रत्येक अवसर
छ– दस्तावेज पंजीकरण शुल्क	
1– सदस्यता सूची	100 प्रत्येक अवसर
ज– सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण निर्देशिका आवेदन–पत्र सहित	50 प्रति

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त निर्णय से अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

इन्दु कुमार पाण्डे
प्रमुख सचिव (वित्त)।

संख्याः 0219(1)/वित्त अनु0 4/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– जिलाधिकारी देहरादून / नैनीताल।
2– निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3– समस्त सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स।
3– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।

आज्ञा से,

(के0सी0 मिश्र)
अपर सचिव (वित्त)।

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

C:\CSBORA\GO.Society.doc

(93)

संख्या– 324 /XXVII(6)/2006

51

प्रेषक,

टी0एन0सिह,
अपर सचिव,
उत्तरॉचल शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिटस,
उत्तरॉचल,देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादूनः दिनॉकः20 सितम्बर, 2006

विषयः– **भारतीय शिक्षा समिति उत्तरांचल, सेवानिवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन, उत्तरांचल तथा उत्तरांचल स्टेट राइफल एसोसियेशन नामक समितियों में उत्तरांचल शब्द के प्रयोग की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पंत्राक –40/2006–07 दिनांक 06 सितम्बर 2006 तथा 45/2006–07 दिनांक 23 अगस्त 2006 के सन्दर्भ मे मुझे कहने का निदेश हुआ है कि **सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860** के **3 क** के अधीन **भारतीय शिक्षा समिति उत्तरांचल, सेवानिवृत्त राजकीय पेन्शनर्स संगठन, उत्तरांचल** तथा **उत्तरांचल स्टेट राइफल एसोसियेशन** में **उत्तरांचल शब्द** के प्रयोग करने की एततद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

भवदीय,

(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

2006-07
08-12-06

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

वर्ष 2006-007
पंजीकरण सं० 139
दिनांक 18-12-06

रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसायटीज एवं चिट्स उत्तरांचल
बंगाली मोहल्ला, करनपुर
देहरादून

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,
सचिव, वित्त,
उत्तरांचल शासन।

42

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स,
उत्तरांचल, देहरादून।

वित्त अनुभाग–6 देहरादून : दिनांक 29 दिसम्बर, 2006

विषय सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम–1860 के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क को पुनरीक्षित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 3552/अ0स0वि0/06, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम–1860 के अन्तर्गत पंजीकृत संस्थाओं के विभिन्न शुल्कों में निम्नवत संशोधन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(धनराशि रू0 में)

क्र.सं.	विषय	प्रभावी दरें
(1)	(2)	(3)
I.	पंजीकरण	
1.	सोसाइटी पंजीकरण	5000
2.	सोसाइटी पंजीकरण युवक/महिला मंगल दल/महिला समूह/सामुदायिक	30
II.	नवीनीकरण	
1.	सोसाइटी नवीनीकरण	500
2.	सोसाइटी नवीनीकरण युवक/ महिला मंगल दल/महिला समूह/ सामुदायिक	30
3.	विलम्ब शुल्क प्रथम माह में	100
4.	विलम्ब शुल्क अन्य माह में प्रतिमाह	50
5.	नवीनीकरण अनुमति शुल्क	600
III.	प्रतिलिपि देने हेतु शुल्क	
1.	सोसाइटी प्रतिलिपि प्रमाण पत्र (सामान्य)	100
2.	सोसाइटी प्रतिलिपि प्रमाण पत्र (आवश्यक)	200
3.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि सामान्य (प्रति पृष्ठ)	60
4.	अन्य दस्तावेजों की प्रतिलिपि आवश्यक (प्रति पृष्ठ)	120
IV.	निरीक्षण	
1.	पत्रावली निरीक्षण	200
V	धारा–4 के प्रपत्र दाखिला शुल्क– इसके अन्तर्गत जो प्रपत्र रजिस्ट्रार कार्यालय में दाखिल किये जाने अनिवार्य हैं उनकी देय तिथि से एक माह पश्चात दाखिल करने पर	
	(1) तीन माह तक	––
	(2) 3 माह से अधिक किन्तु 6 माह तक	––
	(3) 6 माह से अधिक 9 माह तक	––
	(4) 9 माह से अधिक 12 माह तक	––
	(5) एक वर्ष बाद वार्षिक देय शुल्क वर्ष के किसी अंश पर	––

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
देहरादून

(1)	(2)	(3)
VI.	संशोधन शुल्क	
1.	स्मृति पत्र (प्रत्येक अवसर पर)	500
2.	नियमावली (प्रत्येक अवसर पर)	250
VII.	दस्तावेज पंजीकरण शुल्क	
1.	सदस्यता सूची	100
VIII.	सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण निर्देशिका आवेदन पत्र सहित	50

उपरोक्त दरें शासनादेश के जारी होने की दिनांक से लागू मानी जायेगी।

इस व्यवस्था के लागू हो जाने के बाद धारा–4 संबंधी विलम्ब शुल्क के प्रकरण जिन विलम्ब शुल्क पूर्व में जमा कराया जा चुका है पुनरोउद्‌घाटित नहीं किये जायेंगे।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये तथा उक्त निर्ण से अपने अधीनस्थ मण्डल कार्यालयों को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी)
सचिव, वित्त

संख्याः 462 / वित्त अनु0–6 / 06 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी देहरादून / नैनीताल।
2. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तरांचल, देहरादून।
3. समस्त उप निबन्धक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून / नैनीताल।

आज्ञा से,

(एन. एन. थपलियाल)
अपर सचिव, वित्त।

लोक सूचना अधिकारी
... कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून

(96)

संख्या–04/05/XXXI(13)G/2007-22(1)/2006

53

प्रेषक,

एस0 राजू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1.अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2.समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उत्तराखण्ड शासन।
3.समस्त मण्डलायुक्त, उत्तराखण्ड शासन।
4.समस्त विभागाध्यक्ष/आयुक्त, उत्तराखण्ड।
5.समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग देहरादूनः दिनांकः 19 जनवरी, 2007

विषयः पट्टिकाओं,मोहर,लेटर पैड,साईन बोर्ड आदि में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र संख्या–01/ XXXI(13)G/2007-22(1)/06 दिनांक 03 जनवरी,2007 एवं पत्र संख्या–/XXXI(13)G/2007 दिनांक 05जनवरी, 2007 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेशों के अन्तर्गत निर्देश जारी किये जा चुके है कि अपने अधीनस्थ कार्यालयों में उपलब्ध समस्त अभिलेखों/निगमों/परिषदों/संस्थाओं/बोर्डो आदि में जहॉ–जहॉ उत्तरांचल शब्द अंकित है, उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शब्द तत्काल उल्लिखित कर दिया गया।

अतः उक्त शासनादेशों की ओर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि अपने विभाग से सम्बन्धित नाम पट्टिका,मोहर,लेटर पैड,साईन बोर्ड आदि में उत्तरांचल के स्थान पर उत्तराखण्ड का प्रयोग तत्काल किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(एस0 राजू)
सचिव।

संख्या–01/ XXXI(13)G/2007-22(1)/06 तद्दिनांकित–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. प्रमुख सचिव,श्री राज्यपाल,उत्तराखण्ड।
2. सचिव,मा0 मुख्यमंत्री,उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव,विधान सभा,उत्तराखण्ड।
4. महानिबन्धक,मा0 उच्च न्यायालय,नैनीताल।

वर्ष 2006-2007 165
14/2/07

लोक सूचना अधिकारी
क्षेत्रीय कार्यालय
फर्म्स सोसाइटी एवं चिट्स
देहरादून